



बिहार राज्य के कोषागारों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा
वर्ष 2023-2024



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना।

प्राक्कथन

कोषागार शासकीय लेखा प्रणाली का मुख्य अंश है तथा वे राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए शासन में संहितार्ये, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियार्ये निर्धारित की गयी है। अतः कोषागारों की कार्य प्रणाली एवं विनिर्दिष्ट नियमों/प्रक्रियाओं के पालन तथा आन्तरिक नियंत्रण में पाई गई कमियाँ, जो नियमों एवं प्रक्रियाओं से विचलन तथा वित्तीय प्रबन्धन में कमी को बढ़ावा देती है, की नियतकालिक समीक्षा अनिवार्य है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2023-2024 की अवधि के लेखांकन एवं इस कार्यालय में उपलब्ध डेटा बेस का नमूना जाँच में आये प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। वार्षिक समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप तैयार की गयी है।

हम यह अपेक्षा करते है कि प्रस्तुत समीक्षा भविष्य में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने में प्रेरणादायी सिद्ध होगी।



स्थान:- पटना

दिनांक:- 20.12.2024

महालेखाकार (ले० एवं ह०)

बिहार, पटना।

विषय सूची

भाग-1

विवरण	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	1.1	4
संगठनात्मक	1.2	5
कोषागार कर्मियों की स्थिति	1.3	6
कोषागार के निरीक्षण का उद्देश्य	1.4	7

भाग-2

लेखाओं की संकलन एवं सत्यापन के दौरान संज्ञान में आई खामियाँ एवं अनियमितताएँ

मासिक लेखाओं की विलम्ब से प्राप्ति	2.1	8-10
अवशिष्ट दावे (ए0सी0 विपत्र)	2.2	11-12
नगर निगम आदि का गलत लेखा शीर्ष में वर्णित	2.3	12
प्रदेश के कोषागारों से वाउचर प्राप्त न होना	2.4	13-14
बिलों के भुगतान में विलम्ब	2.5	14-16

भाग-3

कोषागारों के निरीक्षण के दौरान पाई गयी त्रुटियाँ/खामियाँ

वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए कोषागार	3.1	17
निरीक्षण प्रतिवेदन के अविस्तारित प्रतिवेदन एवं प्रस्तर	3.2	18
उपादान प्राधिकार पत्र की परिपक्वता अवधि की समाप्ति के उपरांत भुगतान	3.3	18-19
15 वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत रूपान्तरित पेंशन की राशि से कटौती	3.4	19-20
पेंशन के रूपांतरित भाग की प्राधिकृत राशि से कम की कटौती	3.5	20-21
पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के भुगतान में अनियमितता	3.6	21
सातवें वेतन आयोग के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकित नहीं किया जाना	3.7	21
80 वर्ष की आयु के पूर्व ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान	3.8	21-22
80 वर्ष या अधिक उम्र की आयु होने के बाद अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं किया जाना	3.9	23

बैंक स्कॉल में आपत्तिजनक/संदेहास्पद पी0पी0ओ0 सं0 होना	3.10	23-24
पेंशन राशि का पूर्वर्ती बिहार और उत्तरवर्ती बिहार में प्रभाजन नहीं किया जाना	3.11	24-26
अदावाकृत/अनिकासी पेंशन की सूचना	3.12	26
पेंशन भुगतान पंजी के संधारण में अनियमितता	3.13	27
पेंशन प्रपत्र के एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरण में अनियमितता	3.14	27-28
पेंशन का अधिक भुगतान	3.15	28
पेंशनरों से आयकर की कटौती नहीं किया जाना।	3.16	28
वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कटौती नहीं किया जाना।	3.17	28-29
निष्प्रभावी पी0डी0/पी0एल0 खाता का बंद नहीं किया जाना	3.18	30
पी.डी./पी0.एल. खाता का सत्यापन नहीं किया जाना	3.19	30
पीएल/ पीडी खाते का त्रैमासिक/ वार्षिक समापन शेष प्रमाणपत्र	3.20	30
व्यपगत जमा	3.21	31
रिजर्व बैंक जमा की बकाया विसंगतियाँ	3.22	31
चिकित्सा विपत्र में अनियमितता	3.23	31
यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण भत्ता के विपत्र में अनियमितता	3.24	32
रोकड़ बही संधारण में त्रुटियाँ	3.25	32-33
जीवन प्रमाण पोर्टल से जीवन प्रमाण का CFMS पर स्वीकृत नहीं होना	3.26	33
पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिकता के माध्यम से धन की निकासी	3.27	33-35
डी0डी0ओ0 द्वारा अभिश्रव/उप-अभिश्रव के संधारण में अनियमितता	3.28	35
नयी पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत राशि स्थानांतरण में अनियमितता।	3.29	35
एजेंसी बैंक द्वारा पेंशन स्कॉल जमा न करना	3.30	35-36
कर राजस्व की वापसी का हिसाब सही ढंग से नहीं किया जाना	3.31	36
चालान का अनुचित लेखांकन	3.32	37

भाग-4

कोषागारों के जाँचोपरान्त आई0टी0 क्षेत्र में पाई गयी अनियमितता

38

भाग-1

1.1 प्रस्तावना

शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कोषागारों की स्थापना की गई है। सभी कोषागार/बिहार प्रदेश शासन के वित्त लेखा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। ये शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य एवं महत्वपूर्ण अंग हैं। कोषागारों की कार्य प्रणाली के सुचारु संचालन हेतु शासन के वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारियों को मुख्य/वरिष्ठ/सहायक कोषाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। सभी कोषाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, इसके लिए शासन ने कुछ नियमावलियाँ/नियम संहिताएं बना रखी हैं। इन्हीं नियमों/नियमनों के अधीन उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। कोषागारों की कार्यप्रणाली में दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के निवारण हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष कोषागारों की समीक्षा किया जाता है।

सभी कोषागारों द्वारा मुख्यतः दो प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया जाता है: -

1. शासन को प्रदेश धनराशि की प्राप्ति एवं शासन की ओर से भुगतान की गई धनराशि को लेखों में समुचित ढंग से दर्शाना।
2. प्रारंभिक लेखाओं को तैयार कर कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार/पटना को प्रेषित/उपलब्ध कराना, जिससे कि महालेखाकार मासिक लेखाओं का संकलन कर, वार्षिक वित्त एवं विनियोजन लेखा समय से तैयार कर विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

1.2 संगठनात्मक ढाँचा

वर्ष 2023-2024 में दिनांक 01.04.2021 से बिहार में कुल 43 कोषागार कार्यरत हैं। सभी कोषागार बैंकिंग हैं। इनका समस्त लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से होता है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कार्यरत सभी कोषागारों की सूची निम्नानुसार है।

बिहार में कोषागारों की सूची			
क्रम संख्या	कोषागार	क्रम संख्या	कोषागार
1	अररिया	25	मुजफ्फरपुर
2	भोजपुर, आरा	26	नालंदा, बिहारशरीफ
3	अरवल	27	नवादा
4	औरंगाबाद	28	पूर्णियाँ
5	बाँका	29	सहरसा
6	बेगुसराय	30	समस्तीपुर
7	पश्चिम चंपारण, बेतिया	31	रोहतास, सासाराम
8	कैमूर, भभुआ	32	पटना निर्माण भवन
9	भागलपुर	33	पटना सिंचाई भवन
10	बक्सर	34	पटना विकास भवन
11	सारण, छपरा	35	शेखपुरा
12	दरभंगा	36	शिवहर
13	गया	37	सीतामढ़ी
14	गोपालगंज	38	सिवान
15	जमुई	39	सुपौल
16	जहानाबाद	40	वैशाली, हाजीपुर
17	कटिहार	41	दिल्ली बिहार भवन
18	खगड़िया	42	ई-कोषागार, पटना
19	मधेपुरा	43	पटना समाहरणालय
20	मधुबनी		
21	किशनगंज		
22	लखीसराय		
23	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी		
24	मुंगेर		

1.3 कोषागार कर्मियों की स्थिति

प्रदेश के कुल 43 कोषागारों में वर्ष 2023-2024 में कुल 22 कोषागारों के निरीक्षण उपरांत कार्यरत, कर्मचारियों की स्थिति निम्न विवरणानुसार है :-

क्रम संख्या	कोषागार	स्वीकृत पद	तैनाती
1	बाँका	14	7
2	पूर्णियाँ	31	16
3	भभुआ	13	9
4	किशनगंज	35	7
5	शिवहर	10	7
6	नालंदा	24	9
7	सिवान	23	9
8	सासाराम	-	-
9	मुंगेर	26	8
10	बेतिया	31	6
11	बेगुसराय	39	11
12	हाजीपुर	18	6
13	मधुबनी	31	11
14	समस्तीपुर	21	18
15	बक्सर	11	7
16	सारण	42	21
17	मुजफ्फरपुर	46	25
18	सुपौल	13	9
19	पटना समाहरणालय	31	50
20	पटना सिंचाई भवन	36	34
21	पटना निर्माण भवन	27	26
22	पटना विकास भवन	19	18

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वीकृत पद के सापेक्ष तैनाती बहुत कम है। इतने कम कर्मचारी होने के कारण कार्य का बोझ अधिक हो गया है, जिसके कारण त्रुटियाँ होने की सम्भावना अधिक रहती है तथा सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना भी अनिवार्य होना चाहिये।

1.4 कोषागार के निरीक्षण का उद्देश्य

कोषागार शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान करने के साथ भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोषागार अपने दायित्वों को सुनिश्चित रूप में नियमानुसार एवं निर्बाध गति से निर्वहन कर सके इसके लिए शासन द्वारा विभिन्न संहिताओं एवं नियम/विनियमों को बनाया गया है, जिससे कि कोषागारों की कार्यक्षमता का विकास मितव्ययिता के साथ हो सके। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह कार्यालय कोषागारों का वार्षिक निरीक्षण करता है। कोषागारों के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है :-

- सरकार का स्थिति का उनके लेखाओं में स्पष्ट प्रदर्शन।
- सरकार के अधिदेशाधीन कार्यकलापों के कार्यान्वयन में मितव्ययी, दक्षता तथा प्रभावकारिता की प्राप्ति का निर्धारण सुनिश्चित करना।
- पेन्शन मन्जूरी करने को शासित करने वाली अर्हता शर्तें पूर्ण की गयी हैं।
- पेन्शन स्वीकृत एवं आहरित की राशि सही है।
- बहुमुल्य वस्तुओं का रख-रखाव एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करना।
- स्टाम्पों की माँग, भण्डारण, भौतिक सत्यापन, सुरक्षा एवं बिक्री स्टाम्प मैनुअल के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना।

भाग-2

लेखाओं के संकलन एवं सत्यापन के दौरान संज्ञान में आई खामियाँ/ अनियमितताएं

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्थाई आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हक0) खण्ड-1 के अध्याय-2 के अनुसार सभी लेखाकरण कार्य और लेखा एवं हक0 कार्यों से सम्बन्धित जाँच कार्य महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हक0) को सौंपे गये हैं।

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) निम्नलिखित कार्यों के लिये उत्तरदायी है: -

- राज्य सरकारों के विभिन्न कोषागारों से प्राप्त वाउचरों और अनुसूचियों के आधार पर व्यय और प्राप्तियों के मासिक लेखे को संकलित करना।
- विनियोग एवं वित्त लेखे तैयार करना।
- जहाँ कहीं अपेक्षित हो कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों को प्राधिकृत करना।
- विभिन्न जमाशीर्षों के अन्तर्गत लेन-देनों के सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालयों में रखे गये लेखाओं का खजाना लेखा से मिलान करना।
- जहाँ कहीं अपेक्षित हो विभिन्न दीर्घ कालिक कर्जों एवं अग्रिमों के लेखे रखना।

2.1 मासिक लेखाओं की विलम्ब से प्राप्ति

प्रत्येक कोषागार के लिए अपने मासिक लेखे को सभी भुगतान एवं सकल प्राप्ति सम्मिलित करते हुए, अगले माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय में प्राप्त कराने की तिथि निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 43 कोषागारों द्वारा अपने कोषागार के मासिक लेखे, इस कार्यालय को प्राप्त कराये गये (जिसकी विवरणी संलग्न है)। ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य में सी0एफ0एम0एस0 (समेकित वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली) 01.04.2019 से लागू है। इसके तहत लेखाएँ कोषागार / वित्त विभाग के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषण का प्रावधान है। लेखाएँ अगले माह की 5 तारीख को प्राप्त होनी चाहिए परंतु कोषागारों द्वारा लेखे एक दिन से लेकर 24 दिन विलम्ब से कार्यालय में प्राप्त कराए गए हैं।

वर्ष 2023-2024 में कोषागारों द्वारा विलम्ब से प्राप्त लेखाओं की सूची (दिनों में)

क्रम संख्या	कोषागार का नाम	अप्रैल 23	मई 23	जून 23	जुलाई 23	अगस्त 23	सितम्बर 23	अक्टूबर 23	नवम्बर 23	दिसम्बर 23	जनवरी 24	फरवरी 24	मार्च 24
1	भोजपुर, आरा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अररिया	6	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0
3	अरवल	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0
4	औरंगाबाद	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बाँका	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	बेगूसराय	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7	पश्चिम चंपारण बेतिया	1	1	0	5	10	0	1	1	5	0	0	0
8	कैमूर, भभुआ	0	0	1	2	14	0	0	0	0	24	0	0
9	भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	बक्सर	3	0	1	2	1	0	0	0	0	14	2	0
11	दरभंगा	6	1	1	4	0	0	0	1	0	3	0	1
12	दिल्ली बिहार भवन	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13	ई0-कोषागार	24	1	1	6	0	0	0	0	7	0	0	0
14	गया	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
15	गोपालगंज	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0
16	जमुई	5	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	0
17	जहानाबाद	7	3	1	4	1	2	1	0	0	0	9	0
18	कटिहार	8	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
19	खगड़िया	1	0	1	2	0	1	0	1	4	1	0	0
20	किशनगंज	6	1	3	0	0	1	0	0	4	1	0	0
21	लखीसराय	5	0	1	0	0	0	0	0	5	14	2	0
22	मधेपुरा	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

23	मधुबनी	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
24	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	3	3	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0
25	मुंगेर	6	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
26	मुजफ्फरपुर	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0
27	नालंदा, बिहारशरीफ	7	1	1	3	3	1	0	1	4	15	1	0
28	नवादा	3	0	0	0	3	0	0	0	4	12	0	0
29	पटना समाहरणालय	3	4	5	0	0	1	0	0	5	8	0	0
30	पटना विकास भवन	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	5
31	पटना निर्माण भवन	0	0	1	0	17	0	0	0	0	0	1	2
32	पटना सिंचाई भवन	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	पूर्णिछाँ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	रोहतास, सासाराम	12	0	3	2	0	0	0	0	6	14	2	0
35	सहरसा	7	0	1	0	0	0	0	0	4	0	7	0
36	समस्तीपुर	7	0	2	2	0	0	0	1	4	0	0	0
37	सारण, छपरा	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0
38	शेखपुरा	5	3	1	2	0	1	1	0	5	14	0	2
39	शिवहर	0	0	0	2	0	0	0	1	5	14	2	0
40	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0
41	सिवान	1	0	1	2	0	0	0	0	5	14	0	2
42	सुपौल	0	1	0	2	0	0	0	0	4	14	0	0
43	वैशाली, हाजीपुर	0	3	6	4	0	0	0	0	4	7	1	0

2.2 अवशिष्ट दावे (ए0सी0 विपत्र)

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 191, 192 व 194 के अनुसार भुगतान के पश्चात प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता वाले आकस्मिक प्रभारों को बि.को.सं. फारम 26 में 'संक्षिप्त विपत्रों' 'एब्स्ट्रैक्ट बिल्स' में निकासी की जा सकती है। ऐसे विपत्रों में व्ययों के विवरण नहीं होते हैं और उन्हें समर्थक वाउचरों के बिना ही कोषागार में प्रस्तुत किया जाता है। निकासी पदाधिकारी प्रत्येक विपत्र में यह तथ्य लिखता है कि 'विस्तृत विपत्र' को बताई गई तारीख तक प्रतिहस्ताक्षर हेतु भेजा जाना है।

टिप्पणी: यदि व्यय को स्थायी अग्रिम से चुकाया जा सकता हो, तो संक्षिप्त विपत्रों के माध्यम से धन की निकासी की जानी चाहिए। कोषागार में अगले आकस्मिक संक्षिप्त विपत्र के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र कि पूर्व में निकासी किये गये संक्षिप्त विपत्रों के लिए विस्तृत विपत्र अमुक तिथि को प्रतिहस्ताक्षर हेतु नियंत्री पदाधिकारी के पास पेश कर दिया गया है, संलग्न किया जाएगा।

टिप्पणी: भुगतान के पहले प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्ययों को व्यय के पूर्ण विवरण के साथ बि.को.सं. फारम 25 में प्रस्तुत किया जाएगा न कि उपर वर्णित संक्षिप्त विपत्रों में मासिक आकस्मिक व्यय पंजी के आधार पर मासिक विस्तृत विपत्र बि.को.सं. फारम 27 में तैयार किया जाना चाहिए। विस्तृत विपत्र पर 'कोषागार में भुगतान हेतु नहीं' शीर्षक देना चाहिए। विपत्र पर प्रभारित राशि और संलग्न उप-वाउचरों को उस महीने में कोषागार से की गई वास्तविक निकासी की राशि से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। उस पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए और उसे नियंत्री पदाधिकारी के पास पेश किया जाना चाहिए। विस्तृत विपत्र के साथ 5000 रु. से अधिक के उप-वाउचर संलग्न किए जाने चाहिए और 5000 रु. से कम राशि के संबंध में विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्रमाणपत्र पृष्ठांकित होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कोषागारों के अन्तर्गत लंबित अवशिष्ट दावे इस प्रकार हैं :-

क्रम संख्या	कोषागार का नाम	शेष ए0सी0राशि (करोड़ रु0 में)
1.	बाँका	124.66
2.	कैमूर	146.51
3.	किशनगंज	56.92
4.	शिवहर	12.47
5.	सिवान	33.04
6.	सासाराम	200.42

7.	मुंगेर	162.91
8.	बेतिया	111.35
9.	बेगुसराय	82.83
10.	हाजीपुर	68.93
11.	मधुबनी	93.17
12.	समस्तीपुर	84.13
13.	बक्सर	29.34
14.	सारण	72.49
15.	मुजफ्फरपुर	130.81
16.	सुपौल	84.65
17.	पटना समाहरणालय	243.25
18.	पटना सिंचाई भवन	1484.69
19.	पटना निर्माण भवन	2398.49
20.	पटना विकास भवन	3910.40
	कुल	9531.40

2.3 नगर निगम आदि गलत लेखा शीर्ष में वर्णित

वित्त विभाग के पत्रांक 8037 दिनांक 14.09.2015 के अनुसार लेन-देन नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत द्वारा उपशीर्ष क्रमशा: 0001, 0002 एवं 0003 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8448, उपशीर्ष-00 एवं लघु शीर्ष 102 में होना चाहिए।

वर्ष 2023-24 में 22 कोषागार कार्यालयों के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित पी0एल0खाता का लेखांकन गलत उपशीर्ष के अंतर्गत किया गया है :-

कोषागार का नाम	पी0एल0 खाता का नाम	विपत्र कोड
बाँका	नगर पंचायत, बाँका	8448-00-102-0001
पूर्णियाँ	नगर परिषद, कारखा	8448-00-102-0003
मुंगेर	नगर परिषद, जमालपुर	8448-00-102-0001
पश्चिम चंपारण, बेतिया	नगर परिषद, रामनगर	8448-00-102-0003
सारण, छपरा	नगर निगम, सारण (छपरा)	8448-00-102-0002

2.4 प्रदेश के कोषागारों से अभिश्रव/उप अभिश्रव/अनुसूचि का प्राप्त न होना

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 25 व 26 के अनुसार महालेखाकार और अन्य प्राधिकारों को विभिन्न विहित तिथियों को भेजी जाने वाले कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रेषित किए जाने वाले लेखों की सूची परिशिष्ट 4 में दी गई है। लेखे और विवरणियां कोषागार लेखाकरण नियमावली, 1992 में अन्तर्विष्ट निदेशों तथा महालेखाकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों एवं अनुदेशों के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत कोषागारों के लिए लेखा नियमावली 1992 के अनुसार भुगतान सूची और नकद लेखा से संबंधित वाउचरों, चालानों और अनुसूचियों को अलग-अलग मासिक श्रृंखला में लगातार क्रम से संख्यांकित किया जायेगा और प्रेषित (डिस्पैच) किए जाने तक ताला बंद रखा जायेगा। भेजने से पूर्व कोषागार पदाधिकारी निरीक्षण कर अपना समाधान कर लेगा कि सभी अपेक्षित वाउचर संलग्न कर दिए गए हैं। माह के दौरान वह समय-समय पर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वाउचर मौजूद हैं तथा उचित क्रम में हैं।

निम्नलिखित कोषागारों के निरीक्षण के दौरान पाए गए अप्राप्त अभिश्रवों/उप अभिश्रवो/अनुसूचियों की राशि जिसे ओ0बी0 सर्पेंस के अंतर्गत लेखा में दर्शाया जाता है, की सूची इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	कोषागार	राशि (करोड़ रु0 में)
1.	बाँका	228.90
2.	पूर्णियाँ	225.86
3.	भभुआ	122.91
4.	किशनगंज	237.79
5.	शिवहर	59.28
6.	नालंदा	824.52
7.	सिवान	222.61
8.	सासाराम	519.71
9.	मुंगेर	192.12
10.	बेतिया	181.43
11.	बेगुसराय	175.28

12.	हाजीपुर	360.62
13.	मधुबनी	206.16
14.	समस्तीपुर	306.99
15.	बक्सर	232.73
16.	सारण	283.94
17.	मुजफ्फरपुर	208.79
18.	सुपौल	327.80
19.	पटना समाहरणालय	660.67
20.	पटना सिंचाई भवन	348.52
21.	पटना निर्माण भवन	279.58
22.	पटना विकास भवन	55.24
	कुल	6261.44

2.5 बिलों के भुगतान में विलम्ब

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 79 के अनुसार सरकार के सभी दावों को तत्परतापूर्वक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भुगतान में विलंब सभी नियमों के विपरीत और आपत्तिजनक है और समाधान पूरक स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने पर उन्हें सम्बद्ध विभागाध्यक्ष की जानकारी में लाया जाना चाहिए।

निरीक्षण के क्रम में एक माह (30 दिन) या उससे अधिक अवधि में विलम्ब से किए गए भुगतान के कुछ मामले निम्नांकित हैं :-

क्र० सं०	कोषागार का नाम	टोकन तिथि	भाउचर संख्या	भुगतान तिथि	विलंबित दिनों की संख्या
1.	बाँका	08-02-2023	PBNK230325150000106	13-03-2023	33
2.	भभुआ	26-10-2019	PBBW200125150000041	21-01-2020	87
3.	भभुआ	26-10-2019	PBBW200125150000042	21-01-2020	87

4.	भभुआ	07-02-2020	PBBW200322350000421	26-03-2020	48
5.	भभुआ	07-02-2020	PBBW200322350000422	26-03-2020	48
6.	किशनगंज	16-07-2021	KSJ20210703735	24-08-2021	40
7.	किशनगंज	27-01-2022	KSJ20220112568	08-03-2022	41
8.	किशनगंज	30-08-2022	KSJ202208006092	10-11-2022	73
9.	सिवान	09-11-2021	PSWN220325150000340	26-03-2022	137
10.	सिवान	13-11-2021	PSWN220320700000085	26-03-2022	133
11.	सिवान	20-10-2020	PSWN210220710000486	19-02-2021	122
12.	सिवान	07-07-2021	PSWN211025150000003	04-10-2021	89
13.	बेतिया	14-05-2023	PWCH230720290000029	03-07-2023	51
14.	बेतिया	17-10-2020	PWCH201220410000002	10-12-2020	55
15.	बेतिया	17-10-2020	PWCH201220410000003	10-12-2020	55
16.	बेगुसराय	31-10-2019	PBGS200322110000053	24-03-2020	145
17.	बेगुसराय	11-09-2019	PBGS200134540000014	21-01-2020	132
18.	बेगुसराय	18-12-2019	PBGS200483420000004	10-04-2020	114
19.	बेगुसराय	21-05-2020	PBGS200722110000016	13-07-2020	53
20.	हाजीपुर	25-11-2021	PVSL220220290000072	21-02-2022	86
21.	हाजीपुर	09-02-2022	PVSL220325150000174	12-03-2022	31
22.	समस्तीपुर	12-07-2021	PSTR220222350000146	26-02-2022	229

23.	समस्तीपुर	17-04-2021	PSTR210824060000011	12-08-2021	117
24.	समस्तीपुर	06-11-2021	PSTR220322110000007	03-03-2022	117
25.	समस्तीपुर	10-07-2021	PSTR211130550000001	02-11-2021	115
26.	बक्सर	15-03-2022	PBXR220320290000123	18-12-2021	87
27.	बक्सर	15-03-2022	PBXR220320290000124	18-12-2021	87
28.	बक्सर	15-03-2022	PBXR220320290000125	18-12-2021	87
29.	बक्सर	23-12-2021	PBXR211220290000043	07-10-2021	77
30.	सारण	13-10-2022	PSRN230320290000072	04-03-2023	142
31.	सारण	27-09-2022	PSRN221234540000003	02-12-2022	66
32.	सारण	27-12-2021	PSRN220220150000032	12-02-2022	47
33.	सारण	13-08-2020	PSRN200922030000013	28-09-2020	46
34.	सुपौल	05-07-2021	PSPL220125150000052	20-01-2022	199
35.	सुपौल	05-07-2021	PSPL220125150000051	20-01-2022	199
36.	सुपौल	05-07-2021	PSPL220125150000050	20-01-2022	199
37.	सुपौल	05-07-2021	PSPL220125150000049	20-01-2022	199
38.	पटना निर्माण भवन	15-11-2022	PPNB230586580000029	25-05-2023	191
39.	पटना निर्माण भवन	15-11-2022	PPNB230586580000030	25-05-2023	191
40.	पटना निर्माण भवन	15-11-2022	PPNB230586580000031	25-05-2023	191
41.	पटना निर्माण भवन	15-11-2022	PPNB230586580000032	25-05-2023	191

भाग-3

कोषागारों के निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियाँ

3.1 वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए कोषागार

बिहार राज्य में कुल 43 कोषागार कार्यरत हैं। वर्ष 2023-2024 की अवधि में 22 कोषागारों का निरीक्षण सम्पन्न कराया गया। जिसकी विवरणी निम्न है :-

क्रम संख्या	कोषागार का नाम	कोषागार निरीक्षण की अवधि
1	बाँका	05-06-2023 से 13-06-2023
2	पूर्णियाँ	12-06-2023 से 20-06-2023
3	भभुआ	19-06-2023 से 27-06-2023
4	किशनगंज	24-07-2023 से 28-07-2023
5	शिवहर	31-07-2023 से 05-08-2023
6	नालंदा	07-08-2023 से 12-08-2023
7	सिवान	14-08-2023 से 19-08-2023
8	सासाराम	21-08-2023 से 26-08-2023
9	मुंगेर	28-08-2023 से 02-09-2023
10	बेतिया	09-10-2023 से 14-10-2023
11	बेगुसराय	30-10-2023 से 04-11-2023
12	हाजीपुर	06-11-2023 से 11-11-2023
13	मधुबनी	04-12-2023 से 09-12-2023
14	समस्तीपुर	11-12-2023 से 16-12-2023
15	बक्सर	15-01-2024 से 20-01-2024
16	सारण	29-01-2024 से 03-02-2024
17	मुजफ्फरपुर	05-02-2024 से 10-02-2024
18	सुपौल	12-02-2024 से 17-02-2024
19	पटना समाहरणालय	19-02-2024 से 29-02-2024
20	पटना सिंचाई भवन	19-02-2024 से 29-02-2024
21	पटना निर्माण भवन	27-02-2024 से 07-03-2024
22	पटना विकास भवन	27-02-2024 से 07-03-2024

3.2 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रतिवेदन एवं कंडिका

कोषागारों के निरीक्षण की अवधि में संज्ञान में आयी त्रुटियाँ/कमियाँ को कंडिका के रूप में अनुपालन किये जाने हेतु सम्बन्धित कोषागारों को प्रेषित किया जाता है, जिससे की कंडिकाओं का निस्तारण हो सके। अनेकों कोषागारों द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित करने पर रुचि नहीं ली गई। जिसके कारण निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। कंडिकाओं के निस्तारण में रुचि न लिये जाने के कारण पाँच वर्ष से अधिक समय से लेकर वर्ष 2023-2024 तक 352 प्रतिवेदन में कुल 3197 कंडिकाएँ लम्बित है।

31 मार्च 2024 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं की स्थिति

वित्तीय वर्ष	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन	लंबित कंडिका
2014-2015 तक	186	874
2015-2016	21	107
2016-2017	24	201
2017-2018	21	222
2018-2019	24	203
2019-2020	24	232
2020-2021	0	0
2021-2022	9	113
2022-2023	21	552
2023-2024	22	693
कुल	352	3197

3.3 उपादान प्राधिकार पत्र की परिपक्वता अवधि की समाप्ति के उपरांत भुगतान

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 240 के तहत यह प्रावधान है कि उपादान भुगतान आदेश एक वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा और यदि ऐसे किसी आदेश पर अग्र जारी किये जाने के एक वर्ष के अंदर भुगतान नहीं किया गया हो तो व्ययन कार्यालय में उसे रोककर नहीं रखा जाएगा।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि परिपक्वता अवधि के उपरांत भी पुन-वैधीकरण के बगैर उपादान राशि का भुगतान किया गया जो निम्न है :-

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर के नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ०सं०	भुगतान आदेश की तिथि
1.	शिवहर	राम विलास राय	201913072858	11-12-2019
2.	मुंगेर	मीना कुमारी	201820131189	12-03-2018
3.	मुंगेर	अरुण कुमार	201920131575	17-05-2019
4.	मुंगेर	सुभाष चन्द्रा	201920072689	16-09-2019
5.	मुंगेर	सोनी देवी पत्नी- स्व० सौरभ कुमार	201920062957	02-11-2021
6.	मुंगेर	प्रियंका कुमारी पत्नी- स्व० अमर कुमार	201920063096	24-12-2019
7.	मुंगेर	भगवती महतो	202020161287	02-03-2020
8.	मुंगेर	गुड़िया जवाहर लाल दास पत्नी-स्व० गौतम कुमार सुमन	202220191294	25-03-2022
9.	मुंगेर	अंजु कुमारी	202120131395	18-05-2021
10.	पटना समाहरणालय	उपेंद्र कुमार सिंह	202011061273	17-02-2020
11.	पटना समाहरणालय	डॉ० एस० सामविल हुसैन	202011051367	02-06-2020
12.	पटना समाहरणालय	राजेश्वर प्रसाद	202011161404	26-05-2020

3.4 15 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी पेंशन के रूपांतरित भाग की राशि की कटौती

बिहार पेंशन नियम के तहत यह प्रावधान है कि रूपांतरित पेंशन की राशि का भाग कटौती के प्रारंभिक तिथि से 15 वर्षों के पश्चात् मूल पेंशन को पुनर्स्थापित की जायेगी।

निरीक्षण के दौरान निम्नांकित मामले में 15 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी मूल पेंशन को पुनर्स्थापित नहीं किया गया है :-

क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ०सं०	रूपांतरित पेंशन	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	बाँका	सुशील प्रसाद यादव	425375	763/-	30-09-2004
2.	बाँका	बाले मंडल	422993	46/-	31-12-2007

3.	बाँका	गोपाल प्रसाद सिंह	452615	384/-	31-03-2008
4.	बाँका	शशी बाला सिंह	442190	1,767/-	30-11-2006
5.	बाँका	मदन मुरारी प्रसाद	453299	43/-	31-07-2007
6.	बाँका	मदन मोहन प्रसाद	453116	2,364/-	31-01-2008
7.	बाँका	कामता प्रसाद ठाकुर	429878	2,301/-	30-06-2007
8.	बाँका	जगदीश प्रसाद शौदिक	463080	1,248/-	31-01-2008
9.	बाँका	कैलू राम	402485	510/-	30-06-2003
10.	बेगुसराय	राम प्रकाश शर्मा	457571	57/-	30-08-2007
11.	बेगुसराय	रामाशीष प्रसाद सिंह	459378	99/-	30-11-2007
12.	वैशाली	रामचिज प्रसाद	372312	980/-	30-09-2002
13.	वैशाली	श्याम नारायण शाह	397593	1,580/-	28-02-2004
14.	वैशाली	साहिदां खातुन	372154	1,516/-	31-07-2001
15.	मधुबनी	राम गुलाम साह	257346	351/-	03-05-1998
16.	मधुबनी	श्यामानंद झा	300664	318/-	03-03-2006
17.	समस्तीपुर	कामेश्वर झा	400873	748/-	31-08-2004
18.	समस्तीपुर	राजा सिंह	290619	744/-	31-07-1998
19.	समस्तीपुर	मो० राजाउल अख्तर	385589	1,450/-	31-01-2003
20.	समस्तीपुर	सुखदेव महतो	417205	2,500/-	31-07-2004
21.	समस्तीपुर	कांत लाल महतो	427886	2,262/-	31-10-2005
22.	सारण	रुस्तम अली	389003	547/-	31-03-2003
23.	सारण	बब्बन सिंह	439489	1,263/-	30-06-2007
24.	सारण	राम लगन मांझी	418939	341/-	31-01-2005
25.	सारण	विद्यावती सिन्हा	354544	231/-	30-11-2001
26.	सारण	रामायण राम	403052	735/-	31-01-2004
27.	मुजफ्फरपुर	कपिलदेव भक्त	243981	460/-	30-06-1994
28.	मुजफ्फरपुर	सिया शरण सिंह	397702	1,407/-	31-08-2001
29.	मुजफ्फरपुर	श्यामा शर्मा	286523	1,050/-	31-01-1996
30.	मुजफ्फरपुर	भैरव ठाकुर	270886	132/-	31-01-1997
31.	मुजफ्फरपुर	सरयुग राय	215570	197/-	28-02-1994
32.	सुपौल	बलराम यादव	436800	813/-	31-01-2008
33.	सुपौल	वासुदेव प्रसाद यादव	452925	813/-	31-01-2008

3.5 पेंशन के रूपांतरित भाग की प्राधिकृत राशि से कम की कटौती

निरीक्षण के दौरान निम्नांकित मामले में रूपांतरित पेंशन की प्राधिकृत राशि से कम की कटौती किया गया है :-

क्र० सं०	पी०पी०ओ०सं०	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी.पी.ओ. के अनुसार रूपांतरित पेंशन	कटौती की राशि	अभियुक्ति
1.	201011081971	इन्द्र देव सिंह	1263/-	50/-	₹1,213/- प्रति माह अधिक भुगतान किया जा रहा है।
2.	200911151892	सीताराम मिश्रा	1320/-	132/-	₹1,188/- प्रति माह अधिक भुगतान किया जा रहा है।

3.6 पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के भुगतान में अनियमितता

वित्त विभाग के पत्रांक 764 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का भुगतान दिनांक 20.10.2017 से 1000/- प्रति माह किया जाना है।

परंतु निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है की परिशिष्ट संख्या-1 में दर्शाये गए कोषागार कार्यालय के अंतर्गत सार्वजनिक बैंको द्वारा कुछ पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता का भुगतान प्रति माह रू० 1000/- से कम दिया जा रहा है।

3.7 सातवें वेतन आयोग के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकित नहीं किया जाना

वित्त विभाग के ज्ञापांक 755 दिनांक- 20.10.2017 के अनुसार दिनांक- 01.01.2016 से पूर्व पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक- 01.04.2017 से न्यूनतम पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन 9000/- प्रति माह का भुगतान किया जाना है।

परंतु निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की परिशिष्ट संख्या-2 में दर्शाये गए कोषागार कार्यालय के अंतर्गत सार्वजनिक बैंक द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मूल पेंशन रू० 9000/- प्रति माह से कम भुगतान किया जा रहा है।

3.8 80 वर्ष की आयु के पूर्व ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान

वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 755 दिनांक 20.10.2017 के कंडिका 4 के अनुसार 80 वर्ष या अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का प्रावधान है।

किन्तु निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित पेंशनर को 80 वर्ष की आयु के पूर्व ही सार्वजनिक बैंक द्वारा अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ०सं०	जन्म तिथि	बैंक का नाम	अतिरिक्त भुगतान
1.	सासाराम	तेतरी देवी	93757	01-01-1944	सी.बी.आई.	4,500/-
2.	सासाराम	कौशल्या देवी	77100	01-01-1964	सी.बी.आई.	9,000/-
3.	बेतिया	सेंट क्लेरेस जॉर्ज	200911051807	15-02-1949	इंडियन	2,141/-
4.	बेगुसराय	अहमदी बानो	179734	01-01-1946	सी.बी.आई.	3,600/-
5.	बेगुसराय	लारो देवी	204819	01-01-1950	सी.बी.आई.	3,600/-
6.	बेगुसराय	सीता देवी	201112073563	12-09-1965	सी.बी.आई.	3,218/-
7.	समस्तीपुर	पार्वती देवी	201011032008	01-01-1953	सी.बी.आई.	2,974/-
8.	समस्तीपुर	शिव नारायण ठाकुर	201111043592	01-01-1949	सी.बी.आई.	3,270/-
9.	समस्तीपुर	गंगा प्रसाद साहू	20121001450	01-01-1949	सी.बी.आई.	4,620/-
10.	समस्तीपुर	दिनेश कुमार महतो	201211011469	25-05-1952	सी.बी.आई.	4,668/-
11.	समस्तीपुर	भूषण महतो	201211041761	15-07-1951	सी.बी.आई.	3,156/-
12.	समस्तीपुर	लक्ष्मी भगत	201211061465	11-01-1952	सी.बी.आई.	4,280/-
13.	समस्तीपुर	राम उदित ईश्वर	201211101130	01-01-1950	सी.बी.आई.	7,575/-
14.	समस्तीपुर	दिलीप कुमार सिंह	201211101544	24-01-1951	सी.बी.आई.	5,360/-
15.	समस्तीपुर	राम चरित्र महतो	201211102066	10-03-1952	सी.बी.आई.	8,790/-
16.	समस्तीपुर	देवेन्द्र चौधरी	201211151710	07-06-1952	सी.बी.आई.	4,280/-
17.	समस्तीपुर	शाहिदा खातून	201212071804	01-01-1966	सी.बी.आई.	3,266/-
18.	समस्तीपुर	रामा कुमारी	201311103702	04-03-1953	सी.बी.आई.	5,690/-
19.	समस्तीपुर	राम शरण सिंह	201311124354	02-01-1953	सी.बी.आई.	3,447/-
20.	समस्तीपुर	कमलेश प्रसाद ठाकुर	201311162701	08-07-1952	सी.बी.आई.	5,973/-
21.	समस्तीपुर	विमला देवी	201312152348	01-01-1973	सी.बी.आई.	3,999/-
22.	सारण	श्याम देव सिंह यादव	201311063678	15-01-1953	सी.बी.आई.	6,207/-
23.	सारण	जय मंगल चौधरी	201211061574	30-01-1952	सी.बी.आई.	5860/-

3.9 80 वर्ष या अधिक उम्र की आयु होने के बाद अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं किया जाना

वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 755 दिनांक 20.10.2017 के कंडिका 4 के अनुसार 80 वर्ष या अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का प्रावधान है।

किन्तु निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित पेंशनर को 80 वर्ष या अधिक उम्र की आयु होने के बाद भी अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है :-

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ०सं०	जन्म तिथि	बैंक का नाम
1.	बाँका	मणि प्रसाद सिंह	271599	21-01-1940	एस.बी.आई.
2.	बाँका	सद्या प्रसाद सिंह	343467	02-02-1942	एस.बी.आई.
3.	शिवहर	देवेश झा	349336	02-05-1943	सी.बी.आई.
4.	नालंदा	यमुना प्रसाद 2	274190	05-05-1939	बी.ओ.आई.
5.	नालंदा	बसंती देवी	238074	01-03-1935	बी.ओ.आई.
6.	नालंदा	सोहागी देवी	296529	01-07-1940	बी.ओ.आई.
7.	सासाराम	सत्याग्रह सिंह	336322	02-01-1942	बी.ओ.आई.
8.	सासाराम	राम सुरेश राम	288440	08-03-1938	बी.ओ.आई.
9.	बेगुसराय	तारा देवी	375616	01-06-1942	एस.बी.आई.
10.	बेगुसराय	राम दुलारी देवी	254827	16-01-1943	यूको
11.	समस्तीपुर	मो० रजाउल अख्तर	385589	01-02-1943	बी.ओ.आई.
12.	सारण	राम लाल पांडे	197362	14-02-1933	बी.ओ.आई.
13.	सारण	परमानंद दास	300297	09-09-1942	बी.ओ.आई.
14.	सारण	अनिरुद्ध तिवारी	304834	06-04-1941	इंडियन
15.	सारण	प्रदीप सिंह	300757	01-07-1944	इंडियन

3.10 बैंक स्कॉल में आपत्तिजनक/संदेहास्पद पी०पी०ओ० संख्या होना

बिहार प्रदेश के पेंशनरों का पी०पी०ओ० संख्या महालेखाकार द्वारा दिसम्बर 2008 के पूर्व 5 या 6 अंकों द्वारा निर्गत किया जाता था। कुछ पी०पी०ओ० में “एस” उपसर्ग के

तहत् निर्गत किया जाता था। दिसम्बर 2008 के उपरांत पी0पी0ओ0 संख्या 12 अंको में निर्गत किया जाता है, जिसमे प्रत्यय रूप में “पी0, पी1, पी2” अंकित किया जाता है।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-3 में दर्शाये गए कोषागार कार्यालय के अंतर्गत सार्वजनिक बैंको द्वारा उपलब्ध कराये गए बैंक स्कॉल के जाँचोपरांत आपत्तिजनक/संदेहास्पद पी0पी0ओ0 संख्या पाई गयी है।

3.11 पेंशन राशि का पूर्ववर्ती बिहार और उत्तरवर्ती बिहार में प्रभाजन नहीं किया जाना

दिनांक-15.11.2000 को बिहार राज्य विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न पेंशन जैसे प्रत्याशित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपादान आदि के भुगतान की राशि का पूर्ववर्ती बिहार और उत्तरवर्ती बिहार में निम्ननुसार किए जाने का प्रावधान है ताकि बिहार एवं झारखंड राज्य के पेंशन दायित्वों के सही-सही आकलन किया जा सके।

संयुक्त बिहार या उसके बाद के उत्तरवर्ती बिहार के पेंशनरों के पेंशन भुगतान हेतु उपशीर्ष का विवरण ।	विपत्र कोड
उप शीर्ष-15.11.2000 के पूर्व के पेंशन पाने वालों का भुगतान	2071011010001
उप शीर्ष- उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवा निवृत्त होने वाले पेंशनरों का पेंशन का भुगतान ।	2071011010002
उप शीर्ष-15.11.2000 के पूर्व के पेंशनर्स के रुपांतरित मूल्य का भुगतान ।	2071011020002
उप शीर्ष-15.11.2000 के बाद के पेंशनर्स के रुपांतरित मूल्य का भुगतान ।	2071011020001
उप शीर्ष-15.11.2000 के पूर्व के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों का उपादान का भुगतान ।	2071011040001
उप शीर्ष-15.11.2000 के बाद के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों का उपादान का भुगतान ।	2071011040002
उप शीर्ष-15.11.2000 के पूर्व के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों के पारिवारिक पेंशन का भुगतान ।	2071011050001
उप शीर्ष- उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों के पारिवारिक पेंशन का भुगतान ।	2071011050002

किन्तु निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नांकित कोषागार कार्यालय के अंतर्गत सार्वजनिक बैंको द्वारा 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कुछ पेंशनर को उत्तरवर्ती बिहार के पेंशन भुगतान स्कॉल में सम्मिलित करने के कारण पेंशन भुगतान का सही लेखांकन नहीं किया जा सका।

क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ० संख्या	मूल पेंशन	बैंक/कोषागार का नाम
1.	पूर्णियाँ	प्रेम नाथ झा	201314094451	19892	यूको
2.	पूर्णियाँ	सुरेश प्रसाद मंडल	201014093417	26086	सी.बी.आई.
3.	पूर्णियाँ	राम लाल मिस्त्री	201214092275	24454	सी.बी.आई.
4.	पूर्णियाँ	सुनील कुमार पाठक	201414092648	17515	सी.बी.आई.
5.	पूर्णियाँ	महादेव यादव	201514091847	23169	सी.बी.आई.
6.	पूर्णियाँ	सुदामा देवी	201214091354	9515	सी.बी.आई.
7.	नालंदा	बीरेंद्र कुमार	201614092032	16628	सी.बी.आई.
8.	नालंदा	जयराम प्रसाद	201814091998	52950	सी.बी.आई.
9.	नालंदा	ड०. हरिहर, पीडी सिंह	201014091089	35152	सी.बी.आई.
10.	नालंदा	योगेन्द्र प्रसाद	201514092602	24390	एस.बी.आई.
11.	नालंदा	श्याम सुंदर शर्मा	200914091885	22359	एस.बी.आई.
12.	नालंदा	बजरंगी राम	200914091620	22251	एस.बी.आई.
13.	बेतिया	रमाकांत प्रसाद	201214093228	34713	सी.बी.आई.
14.	बेतिया	समरावती देवी	201314094874	13780	सी.बी.आई.
15.	बेतिया	चंद्रिका ओझा	201514092410	35898	एस.बी.आई.
16.	बेतिया	रामाशीष प्रसाद	201414091393	34934	एस.बी.आई.
17.	बेगुसराय	राम देव मालाकार	201214091240	34425	यूको
18.	बेगुसराय	बृज मोहन ठकुर	201114095081	33856	यूको
19.	मधुबनी	ए. के. ठकुर	345674 (Assam)	18964	पी.एन.बी.
20.	मधुबनी	रानी ठकुर	201114095558	43973	पी.एन.बी.
21.	मधुबनी	सत्येंद्र कुमार लाल दास	201414092595	35883	यूको

22.	मधुबनी	नथुनी कामत	200914092661	19500	इंडियन
23.	मधुबनी	त्रिपुला देवी	201414091692	14061	बी.ओ.आई.
24.	बक्सर	ब्रह्मदेव यादव	201614091397	16679	बी.ओ.आई.
25.	बक्सर	बैजनाथ पाठक	201514091944	21511	बी.ओ.आई.
26.	बक्सर	रामाशीष सिंह	201414091860	18864	बी.ओ.आई.
27.	सारण	मांकी देवी	202314091685	45092	सारण
28.	सारण	मीना देवी	202114091060	45162	सारण
29.	सारण	सिया देवी	201314094997	9483	बी.ओ.आई.
30.	सारण	प्रभावती देवी	201414092237	18111	बी.ओ.आई.
31.	सारण	प्रभावती देवी	201314095254	13825	इंडियन
32.	सारण	सुदर्शन साह	200811091001	26330	इंडियन
33.	सारण	कालिका मांझी	201814091943	27600	यूको
34.	सारण	विजय कुमार सिंह	201514091653	27856	सी.बी.आई.
35.	पटना समाहरणालय	कौशल्या देवी	201014093721	12375	बी.ओ.आई.
36.	पटना समाहरणालय	कुमार सतीश चंद्र सिन्हा	200914091765	66242	बी.ओ.आई.
37.	पटना समाहरणालय	देव नारायण प्रसाद	201114094153	23734	बी.ओ.आई.

3.12 अदावाकृत अनिकासी पेंशन की सूचना

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कुछ पेंशन प्रपत्र/बुक तीन माह से एक वर्ष या अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी कोषागार कार्यालय बाँका, कैमूर (भभुआ), किशनगंज, शिवहर, रोहतास (सासाराम), मुंगेर, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बेगुसराय, वैशाली (हाजीपुर), मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना समाहरणालय में पेंशन निकासी नहीं किए गए पाये गए हैं, जबकि इसकी सूचना बिहार कोषागार संहिता के नियम 241 के अनुसार संबंधित पेंशनर अथवा महालेखाकार कार्यालय को नहीं दी गयी है।

3.13 पेंशन भुगतान पंजी के संधारण में अनियमितता

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 210 के आलोक में पेंशन भुगतान आदेशों के व्ययनकर्ता वाले हिस्सों को पेंशन के सेवा, राजनीतिक आदि वर्गों के हिसाब से अलग-अलग फाइलों में सिलसिलेवार चिपकाया जायेगा। इन फाइलों को व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में ही इस तरह रखा जाना चाहिए कि पेंशनधारियों की उन तक पहुँच नहीं हो सके।

निरीक्षण के कम में पेंशन भुगतान पंजी के संधारण में निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी है :-

क्र० सं०	अनियमितता	संबंधित कोषागार
1.	बीटीसी 28 में निर्धारित प्रारूप में नहीं होना।	बाँका, कैमूर (भभुआ), शिवहर, सिवान, रोहतास (सासाराम), मुंगेर, वैशाली (हाजीपुर), समस्तीपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पटना सिंचाई भवन, पटना विकास भवन
2.	पारिवारिक पेंशनर के लिए अलग पंजी का संधारण नहीं होना।	पूर्णियाँ, कैमूर (भभुआ), किशनगंज, नालंदा (बिहारशरीफ), मधुबनी
3.	संवितरणकर्ता भाग में प्रत्येक भुगतान का उल्लेख नहीं किया जाना	शिवहर, रोहतास (सासाराम)
4.	अभियुक्त अथवा रिमाक्स कॉलम नहीं होना।	बाँका, सिवान, रोहतास (सासाराम), मुंगेर, वैशाली (हाजीपुर), समस्तीपुर, बक्सर, पटना सिंचाई भवन, पटना विकास भवन
5.	पेंशनर से संबंधित सूचना जैसे योगदान की तिथि जन्म तिथि सेवा निवृत्ति की तिथि, हस्ताक्षर, पारिवारिक विवरणी इत्यादि नहीं होना।	बाँका, कैमूर (भभुआ), किशनगंज, शिवहर, सिवान, रोहतास (सासाराम), मुंगेर, वैशाली (हाजीपुर), समस्तीपुर, बक्सर, पटना सिंचाई भवन

3.14 पेंशन प्रपत्र के एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरण में अनियमितता

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम के 205 के तहत यह प्रावधान है कि, कोषागार पदाधिकारी पेंशन भुगतान का राज्य के अंदर एक से दूसरे जिले में अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है, कोषागार पदाधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश के दोनो अर्धार्शों को नए जिले के कोषागार पदाधिकारी के पास उस तिथि की सूचना के साथ, जब तक पुराने जिले में भुगतान किया था, अग्रसारित किया जाना चाहिए एवं साथ ही साथ संसूचन की प्रति महालेखाकार को भी अग्रसारित किया जाना चाहिए।

परंतु निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की परिशिष्ट संख्या-4 में दर्शाये गए कोषागार कार्यालय के द्वारा उपरोक्त संसूचन की प्रति महालेखाकार कार्यालय को अग्रसारित नहीं की गयी।

3.15 पेंशन का अधिक भुगतान

निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित मामले में पेंशन का निर्धारित दर से अधिक भुगतान पाया गया है।

कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम/पी0पी0ओ0 संख्या	विवरणी
सारण (छपरा)	श्रीमति नूर जहाँ पत्नी- स्व0 अब्दूल जब्बर, पी0पी0ओ0 संख्या - 201112064475	6ठे वेतन आयोग के अनुसार पारिवारिक पेंशन 5535/- प्रभावी और 7वें वेतन आयोग के अनुसार 14,225/- होना चाहिए। 24.06.2021 से 9485/- एवं अतिरिक्त अनुमान्य डी.आर. एजेंसी बैंक (सी.बी.आई.) द्वारा अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है।

3.16 पेंशनरों से आयकर की कटौती नहीं किया जाना

आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 192 के अनुसार कर्मचारियों/पेंशनरों के वेतन/पेंशन से आयकर की अनुपातिक औसत कटौती माहवार की जानी चाहिए। विदित हो कि दिनांक 01.04.2019 एवं उसके बाद से नए पेंशनरों को पेंशन भुगतान कोषागार कार्यालय द्वारा ही किया जा रहा है।

किन्तु निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की परिशिष्ट संख्या-5 में दर्शाये गए कोषागार कार्यालय द्वारा संबंधित पेंशनरों से माहवार औसत आयकर की कटौती नहीं की गयी है।

3.17 वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कटौती नहीं किया जाना

GST Act 2017 की धारा 51 के तहत वस्तु या सेवा या दोनों के आपूर्तिकर्ता से 1% GST की कटौती का प्रावधान है वंशर्तें यह अनुबंध के अधीन सेवा या आपूर्ति या दोनों की राशि करयोग्य मूल्य रू0 2,50,000/- से अधिक हो।

किन्तु निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नांकित कोषागार कार्यालय के अंतर्गत संबंधित प्राधिकार द्वारा GST की कटौती नहीं की गयी है।

क्र० सं०	कोषागार का नाम	डी०डी०ओ०	राशि	टोकन/वाउचर संख्या	दिनांक
1.	बाँका	जिला सुरक्षा कोषांग, बाँका	3,76,973/-	PBNK230122350000038	17-01-2023
2.	बाँका	एस.डी.ओ, बाँका	4,49,860/-	PBNK210122350000086	23-01-2021
3.	कैमूर (भभुआ)	जिला सहकारिता पदाधिकारी, भभुआ	15,14,000/-	PBBW22032070000003 8	16-03-2022
4.	रोहतास (सासाराम)	एसपी कार्यालय, रोहतास	12,00,959/-	PRTS230320550000115	06-03-2023
5.	वैशाली (हाजीपुर)	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, वैशाली	4,96,409/-	PVSL230322030000023	11-03-2023
6.	मधुबनी	-	9,72,940/-	PMDN22022015000000 2	02-02-2022
7.	समस्तीपुर	जिला शिक्षा कार्यालय, समस्तीपुर	6,89,040/-	PSTR230222020000028	09-02-2023
8.	समस्तीपुर	जिला शिक्षा कार्यालय, समस्तीपुर	23,44,870/-	PSTR230222020000027	09-02-2023
9.	समस्तीपुर	जिला शिक्षा कार्यालय, समस्तीपुर	4,31,408/-	PSTR230222020000030	09-02-2023
10.	सारण (छपरा)	एसडीओ, छपरा	4,09,955/-	PSRN210222350000028	09-02-2021
11.	सारण (छपरा)	एसडीओ, सोनपुर	2,50,000/-	PSRN210222350000106	19-02-2021
12.	मुजफ्फरपुर	जिला शिक्षा कार्यालय, मुजफ्फरपुर	6,95,381/-	PMUZ230322020000326	23-03-2023
13.	सुपौल	एसपी कार्यालय, सुपौल	11,61,902/-	PSPL2201120550000094	20-01-2022
14.	सुपौल	एसपी कार्यालय, सुपौल	7,06,833/-	PSPL2201120550000039	10-01-2022
15.	पटना सिंचाई भवन	ग्रामीण विकास विभाग, पटना	3,15,200/-	PPTS230125050000002	05-01-2023
16.	पटना सिंचाई भवन	ग्रामीण विकास विभाग, पटना	4,57,387/-	PPTS230125050000002	21-12-2022

3.18 निष्प्रभावी पी0डी0/पी0एल0 खाता का बंद नहीं किया जाना

वित्त विभाग के पत्रांक 11262 दिनांक 05.10.2010 (बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 349 में संशोधन) के आलोक में वैसे सभी पी0डी0/पी0एल0 खाता जो 5 वर्ष से अधिक समय से निष्प्रभावी है उन्हें यथाशीघ्र बंद किया जाना है और इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना है। निम्नलिखित खाते बंद किए गए हैं, परंतु इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को नहीं दी गयी है :-

पी0डी0/पी0एल0 खाता संख्या	प्रशासक का नाम	समापन की तिथि
MGRPDA001	डी0एम0, मुंगेर	25.01.2022
MGRPDA003	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मुंगेर	25.01.2022

3.19 पी0डी0/पी0एल0 खाता का सत्यापन नहीं किया जाना

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 353 एवं 343 के आलोक में सभी पी0डी0/पी0एल0 खाता की राशि का प्रत्येक माह कोषागार कार्यालय से सत्यापन किया जाना है एवं वित्तीय वर्ष के समाप्ति पश्चात 30 अप्रैल को इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को दी जानी है। किन्तु कोषागार कार्यालय बेतिया एवं मधुबनी में इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

3.20 पीएल/पीडी खाते का त्रैमासिक/वार्षिक समापन शेष प्रमाणपत्र

बीटीसी 2011 के नियम 353 (ए) के तहत यह निर्धारित प्रावधान हैं, कि प्रत्येक स्थानीय फंड के क्रेडिट पर शेष राशि को फंड का प्रबंधन करने वाले प्राधिकारी द्वारा कोषागार अधिकारी और बैंक के साथ महीने के अंत में मिलान किया जाएगा। लगातार तीन महीनों तक कोषागार के साथ शेष राशि को सत्यापित करने में विफलता की स्थिति में कलेक्टर की विशेष अनुमति के बिना कोषागार अधिकारी द्वारा प्रशासक की कोई भी जांच नहीं की जाएगी।

(बी) सभी स्थानीय निधियों के प्रशासक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक निधियों के जमा में शेष राशि की स्वीकृति का प्रमाण पत्र कोषागार अधिकारी को भेजेंगे, ताकि उन्हें जल्द से जल्द महालेखाकार को सत्यापन के बाद अग्रेषित किया जा सके।

किन्तु निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कोषागार कार्यालय बाँका, पूर्णियाँ, किशनगंज, नालंदा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), मुंगेर, बेगुसराय, वैशाली (हाजीपुर), समस्तीपुर, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, सुपौल, पटना समाहरणालय, पटना सिंचाई भवन, पटना निर्माण भवन, पटना विकास भवन में इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

3.21 व्यपगत जमा

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 331 के आलोक में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के समापन के बाद पूरे तीन लेखा वर्षों तक अदावाकृत सभी जमा राशियाँ सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी। किन्तु निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कोषागार कार्यालय बाँका, किशनगंज, नालंदा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), पश्चिम चंपारण (बेतिया), बेगुसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सुपौल, पटना निर्माण भवन में इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

3.22 रिजर्व बैंक जमा की बकाया विसंगतियाँ

महालेखाकार, बिहार का कार्यालय बिहार के सभी कोषागारों के माध्यम से प्राप्त आरबीडी खाते की प्राप्ति और आरबीआई, पटना से प्राप्त मासिक समापन विवरण (एम सी एस) के आधार पर राज्य का आरबीडी मासिक खाता तैयार करता है। राज्य के आरबीडी मासिक खाते की तैयारी करते समय कोषागारों से प्राप्त राजकोष के आंकड़ों और एमसीएस के रूप में आरबीआई से प्राप्त बैंक आंकड़ों के बीच अंतर अक्सर देखा जाता है। कोषागारों से संशोधित खाते और एमसीएस के माध्यम से समायोजन के अंतर को सुलझाने/निपटान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कोषागार कार्यालय बाँका, पूर्णियाँ, कैमूर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बेगुसराय, वैशाली (हाजीपुर), मधुबनी, समस्तीपुर, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, सुपौल, पटना समाहरणालय, पटना सिंचाई भवन, पटना निर्माण भवन, पटना विकास भवन कोषागारों से प्राप्त राजकोष के आंकड़ों और एमसीएस के रूप में आरबीआई से प्राप्त बैंक आंकड़ों के बीच अंतर अक्सर देखा गया है।

3.23 चिकित्सा विपत्र में अनियमितता

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 67 के तहत यह प्रावधान है कि महालेखाकार को तुष्ट करने कि जावबदेही कोषागार पदाधिकारी पर होगी कि जिस दावे के लिए कोषागार पदाधिकारी ने निकासी की अनुमति दी है, वह वैध है और प्राप्तकर्ता ने निकासी की गयी राशि वस्तुतः प्राप्त कर ली है।

सी0एफ0एम0एस में निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि बाँका, कैमूर (भभुआ), किशनगंज, शिवहर, रोहतास (सासाराम), बेगुसराय, वैशाली (हाजीपुर), मधुबनी, समस्तीपुर, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर में कुछ चिकित्सा विपत्र के साथ चिकित्सा दावा से संबंधित उप-अभिश्चव संलग्न नहीं किया गया है।

3.24 यात्रा भत्ता/स्थानांतरण भत्ता के विपत्र में अनियमितता

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 72 के तहत यह प्रावधान है कि यात्रा भत्ता नियमावली के अधीन यथा विहित विपत्र नियंत्रण पदाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होंगे।

सी0एफ0एम0एस0 में निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित अनियमितता पाई गयी।

अनियमितता	संबंधित कोषागार
उप अभिश्रव अनुपलब्ध पाये गए	बाँका, कैमूर (भभुआ), रोहतास (सासाराम), वैशाली (हाजीपुर), मधुबनी
स्वीकृत्यादेश अनुपलब्ध पाये गए	कैमूर (भभुआ), रोहतास (सासाराम), वैशाली (हाजीपुर), मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बक्सर
विपत्र सक्षम पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं पाये गए	बक्सर
यात्रा विवरणी अनुपलब्ध पाये गए	बाँका, बेगुसराय, समस्तीपुर, सारण (छपरा), पटना समाहरणालय
राशि में अनियमितता	(1) कैमूर (भभुआ) कोषागार अंतर्गत टोकन संख्या BBW202210011661 दिनांक 28-10-2022 सब-वाउचर के अनुसार गया से भभुआ तक की यात्रा में 5,200/- रुपये खर्च हुए लेकिन दावा और निकासी 6,240/- रुपये का किया गया। (2) सिंचाई भवन कोषागार अंतर्गत टोकन संख्या BBW202210011661 दिनांक 28-10-2022 में होटल रसीद का सब-वाउचर संलग्न नहीं था। नई दिल्ली स्थित बिहार सदन में रहने के लिए प्रतिदिन 800/- रुपये का दावा और निकासी किया गया था। हालाँकि, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश संख्या 544 दिनांक 14-09-2021 के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बिहार सदन में प्रतिदिन 250/- रुपये रहने की दर है।

3.25 रोकड़ बही संधारण में त्रुटियाँ

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 15,16,17 के तहत यह प्रावधान है कि लेखापाल कोषागार में होने वाले समस्त लेन देन का सम्पूर्ण अभिलेख रखने और लागू निर्देशों तथा आदेशों के पूर्णतः अनुरूप विहित खातों और विवरणों के संकलन के लिए जवाबदेह होगा। उनसे यह भी अपेक्षा है कि अनियमितता के सारे मामले कोषागार पदाधिकारी को ध्यान में लावें।

कोषागार से संबंधित नगद एवं पुस्त संव्यवहारों का पूरा अभिलेख, लेखापाल की रोकड़ बही में रखा जायगा। प्राप्ति या भुगतान किया गया हरेक रकम के साथ-साथ अंतरण के जरिये होने वाले समस्त सामंजन कोषागार लेखांकन नियमावली 1992 के अंतर्दिष्ट निर्देशों के अनुरूप नगद बही या रोकड़ बही की सहायक किसी अन्य रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे हरेक सहायक रजिस्टर का दैनिक योग को रोकड़ बही में दर्ज होना चाहिए।

कोषागार पदाधिकारी रोकड़ बही और प्रारम्भिक अभिलेख की अन्य रजिस्टर में किसी उद्घर्षण या लिप्तलेखन की अनुमति नहीं देगा। वह इनमें किए गए प्रत्येक संशोधन का सत्यापन करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

यदि रोकड़ बही, में किसी निर्धारित तिथि को शून्य लेन-देन दर्ज किया गया है तो उस तिथि को रोकड़ बही में प्राप्ति एवं भुगतान मद में शून्य दर्ज करते हुए समाप्त किया जाएगा।

अनियमितता	संबंधित कोषागार
सक्षम पदाधिकारी के सक्षयांकन बिना कुछ उद्घर्षण (इरेज) या लिप्तलेखन पाये गए	मुंगेर, पटना समाहरणालय, पटना निर्माण भवन, पटना सिंचाई भवन
कही-कही दिन का समापन नहीं पाया गया	मुंगेर, पटना समाहरणालय, पटना निर्माण भवन

3.26 जीवन प्रमाण पोर्टल से जीवन प्रमाण का CFMS पर स्वीकृत नहीं होना

वित्त विभाग के पत्रांक को0प्र0/विविध-13/2016.8091 दिनांक 01.11.2018 द्वारा राज्य सरकार के पेंशनरों को भारत सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल पर पंजीकृत करने का संबंधित प्राधिकार से आग्रह किया गया ताकि डिजिटल जीवन प्रमाण की सुविधा हो।

किन्तु निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कोषागार कार्यालय बाँका, पूर्णियाँ, कैमूर, किशनगंज, नालंदा (बिहारशरीफ), सिवान, रोहतास (सासाराम), मुंगेर, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बेगुसराय, वैशाली (हाजीपुर) में जीवन प्रमाण पोर्टल से सृजित पेंशनर का जीवन प्रमाण CFMS प्रणाली में स्वीकृत नहीं हो रहा है।

3.27 पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिकता के माध्यम से धन की निकासी

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 190 के अनुसार, पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिकताएं वे आकस्मिक शुल्क हैं जिनके लिए न तो विशेष मंजूरी की आवश्यकता होती है, न ही प्रतिहस्ताक्षर की, लेकिन कार्यालय के प्रमुख द्वारा उनके लिए लेखांकन की

आवश्यकता के अधीन अपने अधिकार पर खर्च किया जा सकता है। इन्हें बीटीसी फॉर्म 25 में बिलों पर निकाला जा सकता है।

बीटीसी फॉर्म 25 के अनुसार, पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिकताओं के माध्यम से धन की निकासी के लिए निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को पूरा किया जाना चाहिए।

(1) प्रमाणित करें कि इस बिल में लगाए गए व्यय को सार्वजनिक सेवा के हित को ध्यान में रखते हुए टाला नहीं जा सकता। मैं प्रमाणित करता हूँ कि, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस बिल में दर्ज भुगतान उन्हें प्राप्त करने के हकदार पक्षों को विधिवत कर दिया गया है। इस बिल के साथ 5000/- रुपये से अधिक की सभी रकम के वाउचर संलग्न हैं। जहां तक संभव हो, मैंने अन्य रकमों के लिए वाउचर प्राप्त किए हैं, और संभव है कि वे इतने विरूपित या विकृत हो गए हों कि उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सके।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि बिल से जुड़े वाउचर और मेरे कार्यालय में रखे गए वाउचर में वर्णित सभी वस्तुएं अच्छी स्थिति में प्राप्त हो गई हैं और स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मात्रा सही है, गुणवत्ता अच्छी है और विशिष्टताओं के अनुसार है और भुगतान की गई दरें स्वीकृत बाजार दरों से अधिक नहीं हैं, और दोहरे भुगतान को रोकने के लिए संबंधित इंडेंट और चालान के खिलाफ भुगतान के उपयुक्त नोट दर्ज किए गए हैं।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि सभी अवर सेवक जिनके वेतन का शुल्क इस बिल में लगाया गया है, वास्तव में संबंधित अवधि के दौरान सरकारी सेवा में शामिल थे और उनकी संख्या और वेतन की दरें सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत की गई थीं।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में लगाए गए वाहन किराये पर व्यय वास्तव में किया गया था, अपरिहार्य था और उपयोग किए गए वाहन के लिए शुल्क के निर्धारित पैमाने के भीतर है, और संबंधित सरकारी कर्मचारी सामान्य नियमों के तहत यात्रा भत्ता प्राप्त करने का यात्रा के लिए हकदार नहीं है।

01-04-2019 से सी0एफ0एम0एस0 के कार्यान्वयन के बाद, सिस्टम जनरेटेड बिल तैयार किए जा रहे हैं और विकृत वाउचर की स्कैन की गई प्रतियाँ संलग्न की जा रही हैं।

किन्तु निरीक्षण के क्रम में विभिन्न कोषागार कार्यालय बिना सब वाउचर के डीडीओ के खाते में राशि ली गयी है। इसके अतिरिक्त 5000/- रुपये के वाउचर जमा करने से

बचने के लिए 5000/- रुपये से कम के विभाजित वाउचर को एक ही दिन में एक ही विक्रेता को कुल राशि के एक बिल के बजाय विभिन्न वाउचर पारित किए गए।

यदि व्यय के उप-वाउचर के बिना पैसा निकाला जाता है और डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में रखा जाता है, तो इसे एसी बिल पर निकाला जाना चाहिए।

कोषागार कार्यालय कैमूर, रोहतास (सासाराम), बेगुसराय, वैशाली (हाजीपुर), मधुबनी, समस्तीपुर, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, सुपौल, पटना सिंचाई भवन के अंतर्गत उपरोक्त त्रुटियाँ पायी गयी।

3.28 डी0डी0ओ0 द्वारा अभिश्रव/उप-अभिश्रव के संधारण में अनियमितता

वित्त विभाग के आदेश संख्या 4212 दिनांक 10.05.2019 द्वारा CFMS प्रणाली अंतर्गत विभिन्न विपत्रों के साथ ऑनलाइन जमा किए गए अभिश्रव/उप-अभिश्रव के संधारण के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं।

किन्तु निरीक्षण के क्रम में कोषागार कार्यालय रोहतास (सासाराम), मुंगेर, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बेगुसराय, वैशाली (हाजीपुर), मधुबनी, समस्तीपुर, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, सुपौल, पटना सिंचाई भवन, पटना निर्माण भवन के अंतर्गत डी0डी0ओ0 द्वारा अभिश्रव/उप अभिश्रव संधारण में निम्न त्रुटियाँ पायी गयी :-

- डी0डी0ओ0 द्वारा मूल अभिश्रव/उप-अभिश्रव पर “Paid and Cancelled” और “Pass for Rs” का मुहर/साक्ष्यांकन नहीं किया जाना।
- CFMS प्रणाली द्वारा सृजित Referance No. प्रत्येक उप अभिश्रव पर नहीं होना।

3.29 नयी पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत राशि स्थानांतरण में अनियमितता

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कोषागार कार्यालय, बाँका, पूर्णियाँ, कैमूर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बेगुसराय, वैशाली (हाजीपुर), मधुबनी, समस्तीपुर, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, सुपौल, पटना समाहरणालय के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों से नयी पेंशन योजना के तहत कटौती की गयी राशि का अगले माह में जमा की गयी राशि से भिन्नता पायी गयी है।

3.30 एजेंसी बैंक द्वारा पेंशन स्कॉल जमा न करना

वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 03/19-9138 दिनांक 15-11-2019 के अनुसार सभी एजेंसी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे दिनांक 01.10.2019 से राज्य के संबंधित कोषागार में पेंशन स्कॉल जमा करें। 01-04-2019 वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1786 दिनांक 09-03-2017 के अनुसार, “बैंक स्कॉल की कागजी प्रति भेजने के बजाय,

पीडीएफ फॉर्म में पेंशन भुगतान बैंक स्कॉल के विवरण वाली एक सीडी को मासिक खाते के साथ कार्यालय में जमा करना होगा।

एजेंसी बैंक को जिला कोषागार में जमा करने के लिए अलग-अलग पेंशन भुगतान के लिए अलग-अलग स्कॉल तैयार करना होगा। पेंशन भुगतान के विभिन्न प्रकार नीचे दिए गए हैं:-

- (क) राज्य के विभाजन से पहले पेंशन भुगतान स्कॉल यानी 15-11-2000
- (ख) राज्य के विभाजन के बाद पेंशन भुगतान स्कॉल यानी 15-11-2000
- (ग) राज्य के विभाजन से पहले पारिवारिक पेंशन भुगतान स्कॉल यानी 15-11-2000
- (घ) राज्य के विभाजन के बाद पारिवारिक पेंशन भुगतान स्कॉल यानी 15-11-2000
- (ङ.) अन्य राज्यों के लिए राज्यवार पेंशन भुगतान स्कॉल
- (च) केंद्रीय पेंशनभोगी की पेंशन भुगतान स्कॉल
- (छ) रक्षा पेंशनभोगी की पेंशन भुगतान स्कॉल

कोषागारों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पेंशन भुगतान स्कॉल की सॉफ्ट कॉपी सी0एफ0एम0एस0 मॉड्यूल पर अपलोड नहीं की गई थी और इसे महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कोषागार कार्यालय बाँका, पूर्णियाँ, कैमूर (भभुआ), किशनगंज, शिवहर, सिवान, रोहतास (सासाराम), बेगुसराय, वैशाली (हाजीपुर), मधुबनी, समस्तीपुर, बक्सर, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, सुपौल, पटना समाहरणालय के पेंशन भुगतान स्कॉल की सॉफ्ट कॉपी सी0एफ0एम0एस0 मॉड्यूल पर अपलोड नहीं की गई थी और इसे महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

3.31 कर राजस्व की वापसी का हिसाब सही ढंग से नहीं किया जाना

मुख्य शीर्ष और लघु लेखा शीर्ष की सूची के अनुसार पिछले वर्षों के किसी भी रिफंड को एकत्रित कर राजस्व के लघु शीर्ष के तहत एक अलग उपशीर्ष में दर्ज किया जाना चाहिए। वित्त विभाग ने इस उद्देश्य के लिए एक उपशीर्षक 0099 खोला है।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कोषागार कार्यालय सारण (छपरा) में दिसंबर 2023 के चालानों की जांच के दौरान यह देखा गया कि शीर्ष 0029-00-104-0001 के तहत ₹4,57,600.00 (PSRN2312002900000001) की राशि बुक की गई थी। इसे शीर्ष 0029-00-104-0099 के तहत बुक किया जाना चाहिए।

3.32 चालान का अनुचित लेखांकन

लेखा महानियंत्रक, द्वारा जारी मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष और वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति (विस्तार) की सूची के अनुसार कर राजस्व को मुख्य शीर्ष 0005 से 0045 तक दर्ज किया जाना चाहिए और गैर-कर राजस्व को 0046 से 1475 तक दर्ज किया जाना चाहिए। कर राजस्व के तहत एकत्र किए गए किसी भी उपकर को समान कर राजस्व शीर्ष के तहत दर्ज किया जाना चाहिए।

सारण (छपरा) कोषागार द्वारा पारित चालान की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि भूमि राजस्व (भू लगान) से एकत्र शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर को शीर्ष 0202- शिक्षा, 0210-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा और 0401-फसल पालन के तहत दर्ज किया गया है। विवरण नीचे दिया गया है :-

चालान	दिनांक	राशि	जमा लेखा शीर्ष	सही शीर्ष
RSRN23030202000000016	27-03-23	3,418/-	0202-01-600-0001	0029-00-103-0002
RSRN23030202000000018	28-03-23	4,238/-	0202-01-600-0001	
RSRN23030202000000019	29-03-23	13,083/-	0202-01-600-0001	
RSRN23030202000000020	31-03-23	29,510/-	0202-01-600-0001	
RSRN23030210000000001	27-03-23	3,418/-	0210-80-800-0001	
RSRN23030210000000002	28-03-23	4,238/-	0210-80-800-0001	
RSRN23030210000000003	29-03-23	13,083/-	0210-80-800-0001	
RSRN23030210000000004	31-03-23	29,510/-	0210-80-800-0001	
RSRN23030401000000007	31-03-23	14,735/-	0401-00-800-0001	

भाग-4

कोषागारों के जाँचोपरान्त आई0टी0 क्षेत्र में पाई गई अनियमितता

कोषागार का नाम	कोषागार निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियाँ/आपत्तियाँ
<p>बाँका, पूर्णियाँ, कैमूर (भभुआ), किशनगंज, शिवहर, नालंदा (बिहारशरीफ), सिवान, रोहतास (सासाराम), मुंगेर, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बेगुसराय, वैशाली (हाजीपुर), मधुबनी, समस्तीपुर, बक्सर, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, सुपौल, पटना समाहरणालय, पटना सिंचाई भवन, पटना निर्माण भवन, पटना विकास भवन</p>	<p>यह आई0टी0 नियंत्रण नीतियां और प्रक्रियाएं हैं जो उस वातावरण को नियंत्रित करती है। कम्प्युटर सिस्टम में आई0टी0 नियंत्रण सभी मैनुअल और प्रोग्राम किए गए तरीके हैं जो कोषागार संपत्तियों की सुरक्षा सटीकता और इसके रिकार्ड की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।</p> <p>निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिंदु पाए गए हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कोषागार में पर्याप्त भौतिक अभिगम नियंत्रण नीति विद्यमान नहीं है। कोषागार में आई0टी0 परिसंपत्तियों के अनधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कोई नीति मौजूद नहीं है। 2. कोषागार परिसंपत्तियों में कोई पासवर्ड सुरक्षा नीति मौजूद नहीं है। 3. सभी वर्कस्टेशन, हार्डवेयर और संबंधित परिधीय उपकरणों को एक विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए। संपत्ति पहचान कोड एक परिभाषित नामकरण की परंपरा है जो विशिष्ट रूप से और उचित रूप से संपत्ति की पहचान करेगा। कोषागार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली है। 4. कंप्यूटर के अप्रयुक्त पोर्ट्स को निष्क्रिय नहीं किया गया है। 5. कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ठीक से नहीं है। कम्प्यूटर में उपयोग किया जाने वाला एंटीवायरस पुराना संस्करण है। कम्प्यूटर का फायरवॉल सक्रिय नहीं हुआ है। 6. वेब ब्राउजर में ऑटो सेव पासवर्ड सेटिंग को डिसेबल नहीं किया गया है।

परिशिष्ट संख्या-1

(प्रतिमाह रु0 1000/- से कम चिकित्सा भत्ता भुगतान)

क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ० संख्या	चिकित्सा भत्ता	बैंक का नाम
1.	बाँका	गणेश हंसदा	201611062322	200/-	एस.बी.आई
2.	बाँका	अबुल कलाम	201411051730	100/-	एस.बी.आई
3.	बाँका	एकवाल हुसैन	201411121831	100/-	एस.बी.आई.
4.	बाँका	अरुण कुमार साह	201411081658	200/-	एस.बी.आई.
5.	बाँका	महेंद्र दास	201311164088	100/-	एस.बी.आई.
6.	बाँका	रेखा देवी	442779	0	एस.बी.आई.
7.	बाँका	सविता कुमारी	S/102206	0	एस.बी.आई.
8.	बाँका	चानो देवी	259229	0	एस.बी.आई.
9.	बाँका	बोगिया देवी	200912071379	0	एस.बी.आई.
10.	बाँका	सुदामा देवी	457935	0	एस.बी.आई.
11.	बाँका	बेरशी यादव	454099	200/-	यूको
12.	बाँका	विजय सिंह	368674	200/-	यूको
13.	बाँका	सावित्री देवी	339871	200/-	यूको
14.	बाँका	नंद किशोर झा	438988	0	पी.एन.बी.
15.	बाँका	मुनेश्वर रविदास	201511121362	200/-	पी.एन.बी.
16.	बाँका	अनिरुद्ध प्रसाद यादव	201711141194	200/-	पी.एन.बी.
17.	बाँका	अली इमाम अंसारी	201411071847	0	पी.एन.बी.
18.	बाँका	दिलीप कुमार सिंह	201811121631	0	पी.एन.बी.
19.	पूर्णियाँ	सिद्धेश्वर नाथ गेरी	421315	0	यूको
20.	पूर्णियाँ	राधा देवी	000423179	200/-	यूको
21.	पूर्णियाँ	मो० अब्बास	358926	200/-	यूको
22.	पूर्णियाँ	जगन्नाथ प्रसाद	402526	200/-	यूको
23.	पूर्णियाँ	शिव लाल यादव	201411162078	200/-	यूको
24.	पूर्णियाँ	दुर्गा देवी	S/73225	0	यूको
25.	पूर्णियाँ	किरण देवी	S/87808	0	यूको
26.	पूर्णियाँ	उर्मिला देवी	S/91050	0	यूको
27.	पूर्णियाँ	पानो देवी	S/92177	200/-	यूको
28.	पूर्णियाँ	फरनब अली	010158	0	सी.बी.आई.
29.	पूर्णियाँ	नंदकिशोर दास	392129	0	सी.बी.आई.
30.	पूर्णियाँ	जय प्रकाश सिंह	404357	0	सी.बी.आई.
31.	पूर्णियाँ	मो० फसीह अहमद	430613	0	सी.बी.आई.
32.	पूर्णियाँ	कमल मोची	452543	0	सी.बी.आई.
33.	पूर्णियाँ	अब्दुर किचब	291434	0	सी.बी.आई.

34.	पूर्णियाँ	पूर्णिमा देवी	135373	0	सी.बी.आई.
35.	पूर्णियाँ	गीता देवी	S/56048	0	सी.बी.आई.
36.	पूर्णियाँ	लीला देवी	S/60998	0	सी.बी.आई.
37.	पूर्णियाँ	ललिता देवी	232701	0	सी.बी.आई.
38.	पूर्णियाँ	आशा कुमारी	201512141884	0	बी.ओ.आई.
39.	पूर्णियाँ	तारा देवी	282801	200/-	पी.एन.बी.
40.	पूर्णियाँ	डोमिनी देवी	401692	100/-	पी.एन.बी.
41.	पूर्णियाँ	अरविंद कुमार झा	201711031505	200/-	पी.एन.बी.
42.	पूर्णियाँ	अलख नाथ मिश्रा	201711065171	200/-	पी.एन.बी.
43.	पूर्णियाँ	अब्दुल जब्बार	201311011942	100/-	एस.बी.आई.
44.	पूर्णियाँ	जगरनाथ मिश्रा	201411161783	100/-	एस.बी.आई.
45.	किशनगंज	मो० यूसुफ	201511131024	300/-	एस.बी.आई.
46.	किशनगंज	गोदी लाल	201711071173	200/-	एस.बी.आई.
47.	किशनगंज	मो० यूसुफ	201311074425	100/-	एस.बी.आई.
48.	किशनगंज	गोलम देवी	201112073656	100/-	एस.बी.आई.
49.	किशनगंज	अहिल्या देवी	201412071903	100/-	पी.एन.बी.
50.	किशनगंज	बीबी मुसर्त	201112052830	100/-	पी.एन.बी.
51.	किशनगंज	शाहनाज बेगम	462583	100/-	पी.एन.बी.
52.	किशनगंज	जहूरौल हुसेन	435828	0	सी.बी.आई.
53.	किशनगंज	मो० मसूद जाफर	450815	0	सी.बी.आई.
54.	किशनगंज	कुतबुल आरफीन	201311134950	0	सी.बी.आई.
55.	शिवहर	राम शंकर सिंह	201711131109	0	सी.बी.आई.
56.	शिवहर	शकुंतला देवी	201912071371	500/-	सी.बी.आई.
57.	शिवहर	अब्दुल मनान	201111032951	0	सी.बी.आई.
58.	शिवहर	सिया सुंदर देवी	345781	300/-	बी.ओ.बी.
59.	नालंदा	बच्ची कुमारी	201411101184	100/-	एस.बी.आई.
60.	नालंदा	शकुंतला कुमारी	201311104387	100/-	एस.बी.आई.
61.	नालंदा	श्याम कोशोर प्रसाद	201811101787	200/-	एस.बी.आई.
62.	नालंदा	अशोक कुमार सिंह	201411052572	100/-	एस.बी.आई.
63.	नालंदा	राम शोभित मिश्रा	201711041031	200/-	पी.एन.बी.
64.	नालंदा	मकसूदन प्रसाद	201111072965	200/-	पी.एन.बी.
65.	नालंदा	राम शरण दास	018145	200/-	पी.एन.बी.
66.	नालंदा	सुनैना देवी	S/85143	100/-	पी.एन.बी.
67.	सिवान	पारस नाथ	201711051782	200/-	पी.एन.बी.
68.	सिवान	भक्त त्रिलोकी नाथ सिंह	201711051843	200/-	पी.एन.बी.
69.	सिवान	धूमन ठाकुर	365978	0	पी.एन.बी.
70.	सिवान	रामा जी भक्त	376241	0	पी.एन.बी.

71.	सासाराम	फूलमती देवी	406817	0	सी.बी.आई.
72.	सासाराम	रामाधार पवन	201411041349	0	सी.बी.आई.
73.	सासाराम	दुलारी देवी	296389	0	सी.बी.आई.
74.	सासाराम	कुंवर लाल पांडे	201011021073	200/-	पी.एन.बी.
75.	सासाराम	भागरथी देवी	2735421	0	पी.एन.बी.
76.	सासाराम	छविराजी देवी	273934	0	बी.ओ.आई.
77.	मुंगेर	पूर्णमा कुमारी	S/113745	50/-	पी.एन.बी.
78.	मुंगेर	कौशल्य देवी	291692	0	पी.एन.बी.
79.	मुंगेर	देवन प्रसाद यादव	201711062206	200/-	पी.एन.बी.
80.	मुंगेर	सरस्वती देवी	184280	200/-	यूको
81.	बेतिया	मदन तिवारी	201111133513	100/-	एस.बी.आई.
82.	बेतिया	पन्ना लाल दास	201411081427	100/-	एस.बी.आई.
83.	बेतिया	भिकारी राउत	432289	350/-	पी.एन.बी.
84.	बेतिया	कारी यादव	201611072178	200/-	पी.एन.बी.
85.	बेगुसराय	बिमला देवी	311793	0	एस.बी.आई.
86.	बेगुसराय	फुल देवी	S/91980	50/-	एस.बी.आई.
87.	बेगुसराय	निर्मला देवी	S/109674	0	एस.बी.आई.
88.	बेगुसराय	नतेंदर कुमार दास	439437	0	सी.बी.आई.
89.	बेगुसराय	पद्मा देवी	329112	0	सी.बी.आई.
90.	वैशाली	सुनीता देवी	201611061965	200/-	पी.एन.बी.
91.	वैशाली	कौशल्य देवी	201112034252	100/-	पी.एन.बी.
92.	वैशाली	उमा देवी	393057	0	इंडियन
93.	वैशाली	दुर्गा देवी	55597	0	इंडियन
94.	मधुबनी	गिरजा देवी	380239	100/-	पी.एन.बी.
95.	मधुबनी	सैदा खातून	201212072620	100/-	पी.एन.बी.
96.	मधुबनी	पार्वती देवी	284090	200/-	पी.एन.बी.
97.	मधुबनी	सरस्वती देवी	406125	200/-	पी.एन.बी.
98.	मधुबनी	कामेश्वर झा	201411132221	100/-	एस.बी.आई.
99.	मधुबनी	खड़मो हकीम	201711151116	387/-	एस.बी.आई.
100.	समस्तीपुर	अनुभूति देवी	250186	0	बी.ओ.आई.
101.	समस्तीपुर	पूनम कुमारी सिन्हा	S/77498	0	बी.ओ.आई.
102.	समस्तीपुर	पार्वती देवी	183918	0	बी.ओ.आई.
103.	समस्तीपुर	बनारसी कुमारी	201211102093	0	पी.एन.बी.
104.	समस्तीपुर	जगलाल महतो	201411102739	0	पी.एन.बी.
105.	समस्तीपुर	परमेश्वर प्रसाद	201111102622	0	एस.बी.आई.
106.	समस्तीपुर	इंदु पोद्दार	356354	0	एस.बी.आई.
107.	समस्तीपुर	विनीता झा	201312033985	100/-	एस.बी.आई.
108.	समस्तीपुर	रशिदा खातून	34819	0	एस.बी.आई.
109.	समस्तीपुर	शारदा झा	201011021116	0	एस.बी.आई.

110.	बक्सर	सुधींद्र कुमार पाठक	201611041062	200/-	यूको
111.	बक्सर	परमेश्वरी देवी	418401	200/-	यूको
112.	बक्सर	सीता देवी	201311142965	0	यूको
113.	बक्सर	शबनम बानो	201511131112	0	यूको
114.	सारण	कौशल्या देवी	418302	200/-	सी.बी.आई.
115.	सारण	सचिदानंद सिंह	429862	300/-	एस.बी.आई.
116.	सारण	शकुंतला देवी	201412071841	100/-	एस.बी.आई.
117.	मुजफ्फरपुर	जगदीश सहनी	20091114184	0	सी.बी.आई.
118.	मुजफ्फरपुर	शिव मंगल ठाकुर	201011052188	0	सी.बी.आई.
119.	मुजफ्फरपुर	शंभू शरण मिश्रा	201212051013	0	यूको
120.	मुजफ्फरपुर	कंचन सिन्हा	137470	200/-	यूको
121.	पटना समाहरणालय	राम शखी देवी	413606	0	पी.एन.बी.
122.	पटना समाहरणालय	पुनम देवी	S/50889	0	पी.एन.बी.
123.	पटना समाहरणालय	फातमा फिरदौश	S/108155	0	पी.एन.बी.
124.	पटना समाहरणालय	जनार्दन प्रसाद	446572	0	पी.एन.बी.
125.	पटना समाहरणालय	सुरेश देवी	275690	0	पी.एन.बी.
126.	पटना समाहरणालय	कल्याणी मिश्रा	248535	0	यूको
127.	पटना समाहरणालय	ति पांडे	216485	0	यूको
128.	पटना समाहरणालय	सुशीला देवी	233527	0	यूको
129.	पटना समाहरणालय	बैजू देवी	S/108409	0	बी.ओ.आई.
130.	पटना समाहरणालय	तारा देवी	134218	750/-	बी.ओ.आई.
131.	पटना समाहरणालय	अर्चना	S/96535	0	बी.ओ.आई.
132.	पटना समाहरणालय	तेतर देवी	284977	0	इंडियन
133.	पटना समाहरणालय	मुनरवा देवी	S/58650	0	इंडियन

परिशिष्ट संख्या-2

(न्यूनतम पेंशन रु0 9000/- प्रतिमाह से कम भुगतान)

क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ० संख्या	मूल पेंशन	बैंक/कोषागार का नाम
1.	बाँका	सुनीता देवी	201712071855	4,980/-	बाँका
2.	बाँका	कौशल्या देवी	231288	3,981/-	एस.बी.आई.
3.	बाँका	दासू प्रसाद यादव	200911151857	3,357/-	एस.बी.आई.
4.	बाँका	सुदामा देवी	259282	4,616/-	एस.बी.आई.
5.	बाँका	नगीना देवी	330703	3,500/-	एस.बी.आई.
6.	बाँका	सरिता मुर्मू	S/123014	3,552/-	एस.बी.आई.
7.	बाँका	बी देवी	245490	3,500/-	एस.बी.आई.
8.	बाँका	प्रभावती देवी	S/012128	8,995/-	यूको
9.	बाँका	तारा साह	224331	8,995/-	यूको
10.	बाँका	अलका देवी	S/55810	8,995/-	पी.एन.बी.
11.	पूर्णियाँ	राम लाल प्रसाद	275004	8,995/-	यूको
12.	पूर्णियाँ	मो० खलील	S/1000534	8,995/-	यूको
13.	पूर्णियाँ	प्रभा देवी	S/70444	8,995/-	यूको
14.	पूर्णियाँ	रमा देवी	S/66929	8,995/-	यूको
15.	पूर्णियाँ	द्रोपदी देवी	212515	8,995/-	यूको
16.	पूर्णियाँ	शशि कला देवी	221623	8,995/-	यूको
17.	पूर्णियाँ	सुदामा देवी	255537	8,995/-	यूको
18.	पूर्णियाँ	रंभा देवी	327514	8,995/-	सी.बी.आई.
19.	पूर्णियाँ	गायत्री देवी	275203	8,995/-	सी.बी.आई.
20.	भभुआ	शाहिद असरफ	201412133383	3,490/-	एस.बी.आई.
21.	भभुआ	डा० ली कर्मकार	S/117670	8,995/-	यूको
22.	भभुआ	सुरैया बेगम	369105	6,695/-	यूको
23.	भभुआ	सुखदेव प्रसाद	201211141321	8,995/-	पी.एन.बी.
24.	भभुआ	हबीबा ए	S/92431	3,500/-	पी.एन.बी.
25.	शिवहर	सुंदर देवी	345781	3,500/-	बी.ओ.बी.
26.	शिवहर	बिंदेश्वर साह	395391	5,697/-	सी.बी.आई.
27.	शिवहर	दिग्पाल राय	201011072144	2,233/-	सी.बी.आई.
28.	शिवहर	मो० अताउल्लाह	434862	7,661/-	सी.बी.आई.
29.	नालंदा	तलत मोइज उर्फ देजी	201412103392	7,468/-	बी.ओ.आई.
30.	सिवान	राजमती देवी	200912071790	5,474/-	बी.ओ.आई.
31.	सिवान	महेश्वर पीडी सिंह	429417	7,078/-	बी.ओ.आई.

32.	सिवान	कृष्णकांत सिंह	201511031920	3,500/-	केनरा बैंक
33.	सिवान	एच बेगम	104639	1,913/-	सी.बी.आई.
34.	सासाराम	फुलवासो देवी	87170	1,750/-	पी.एन.बी.
35.	सासाराम	रायसन नेशा	S/93773	8,500/-	पी.एन.बी.
36.	सासाराम	उर्मिला देवी	201611031132	7,505/-	इंडियन
37.	मुंगेर	चिंता देवी	32142	1,750/-	पी.एन.बी.
38.	मुंगेर	पद्मवती देवी	23028	3,387/-	इंडियन
39.	मुंगेर	चंद्र कला देवी	34412	1,913/-	इंडियन
40.	मुंगेर	शीतल प्रसाद सिंह	426508	3,668/-	यूको
41.	बेतिया	नजमा खातून	201311074441	8,018/-	सी.बी.आई.
42.	बेतिया	फुलझरिया देवी	200911071766	8,995/-	सी.बी.आई.
43.	बेतिया	विजय नाथ तिवारी	200911141680	8,995/-	यूको
44.	बेतिया	सुशीला देवी	S/464000	8,995/-	यूको
45.	बेगुसराय	नुसरत खातून	202012061429	1,909/-	बेगुसराय
46.	बेगुसराय	अरुण कुमार साहू	201912052178	6,759/-	बेगुसराय
47.	बेगुसराय	प्रमिला देवी	S/60092	1,913/-	एस.बी.आई.
48.	बेगुसराय	अजय राम	S/106829	3,500/-	एस.बी.आई.
49.	बेगुसराय	तारा देवी	124698	3,500/-	एस.बी.आई.
50.	बेगुसराय	विमला देवी	S/61645	4,950/-	एस.बी.आई.
51.	वैशाली	गौतम देवी	201111063565	7,549/-	पी.एन.बी.
52.	वैशाली	विश्वपति देवी	201812032036	3,645/-	पी.एन.बी.
53.	समस्तीपुर	रेखा देवी	202212102572	3,675/-	एस.बी.आई.
54.	समस्तीपुर	रामपरि देवी	202011081126	3,500/-	एस.बी.आई.
55.	समस्तीपुर	भागिया देवी	201912072309	3,500/-	एस.बी.आई.
56.	समस्तीपुर	रंजू देवी	201912072481	3,500/-	एस.बी.आई.
57.	समस्तीपुर	गीता देवी	201912072104	3,500/-	एस.बी.आई.
58.	समस्तीपुर	नार देवी	201912161345	3,500/-	एस.बी.आई.
59.	समस्तीपुर	सबिता रानी	S/114311	3,499/-	एस.बी.आई.
60.	समस्तीपुर	सैयदा बानो	200912141393	2,244/-	एस.बी.आई.
61.	समस्तीपुर	अनिता कुमारी	459449	4,635/-	एस.बी.आई.
62.	समस्तीपुर	सुशीला देवी	201712161965	6,280/-	एस.बी.आई.
63.	समस्तीपुर	लीला देवी	S/120237	1,681/-	एस.बी.आई.
64.	समस्तीपुर	कृष्णा कुमारी	434548	5,738/-	एस.बी.आई.
65.	समस्तीपुर	चंद्री देवी	S/107438	3,500/-	एस.बी.आई.
66.	बक्सर	सोमारी देवी	228587	1,992/-	एस.बी.आई.
67.	बक्सर	राणा प्रसाद	201112134660	5,619/-	एस.बी.आई.

68.	बक्सर	इंद्रावती देवी	S/62643	2,094/-	एस.बी.आई.
69.	बक्सर	गोपाल सिंह	201511031700	7,140/-	एस.बी.आई.
70.	बक्सर	बच्चन जी	465114	3,867/-	एस.बी.आई.
71.	सारण	नैनाझरी देवी	202212151882	3,630/-	सारण
72.	सारण	राम दुलारी देवी	201913071102	3,500/-	सारण
73.	सारण	पातो देवी	S/105493	2,310/-	सी.बी.आई.
74.	सारण	खैरुन निशा	418938	3,500/-	सी.बी.आई.
75.	सारण	गिरजा देवी	S/111556	2,265/-	सी.बी.आई.
76.	सारण	विलायती देवी	426129	5,330/-	सी.बी.आई.
77.	मुजफ्फरपुर	महेश पासवान	451599	7,684/-	यूको
78.	मुजफ्फरपुर	पानवती देवी	S/83043/1995	8,995/-	यूको
79.	मुजफ्फरपुर	सविता देवी	S/309723/2002	8,995/-	यूको
80.	मुजफ्फरपुर	ऐसा खातून	252093	4,750/-	सी.बी.आई.
81.	सुपौल	राधा देवी	201912071909	4,985/-	सुपौल
82.	सुपौल	बुधनी देवी	201912071911	5,310/-	सुपौल
83.	पटना समाहरणालय	निखत परवीन	S/92044	8,995/-	यूको
84.	पटना समाहरणालय	सरस्वती देवी	S/96300	8,995/-	यूको
85.	पटना समाहरणालय	अफशाना आबेदीन	201711141180	5,295/-	इंडियन

परिशिष्ट संख्या-3

(संदेहास्पद पी0पी0ओ0 संख्या की विवरणी)

क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ०सं०	बैंक/कोषागार का नाम
1.	बाँका	दिनेश प्रसाद यादव	061120190511241	बाँका
2.	बाँका	मोहन हंसदा	250720190607011	बाँका
3.	बाँका	मो० नजाम	111020211210071	बाँका
4.	बाँका	पूजा देवी	2017	एस.बी.आई.
5.	बाँका	महेंद्र प्रसाद यादव	6DDEDN512	एस.बी.आई.
6.	बाँका	मुरलीधर पांडे	DGREDN11830	एस.बी.आई.
7.	बाँका	रामलखन रावत	677	एस.बी.आई.
8.	बाँका	दिनेश प्रसाद साह	20091258	एस.बी.आई.
9.	भभुआ	सोमनाथ बिंद	160720201207511	भभुआ
10.	भभुआ	कमलापति चौबे	160720201207591	भभुआ
11.	भभुआ	निजामुद्दीन अंसारी	100920200409531	भभुआ
12.	भभुआ	सुमन कुमारी	210720221107231	भभुआ
13.	भभुआ	राजेंद्र प्रसाद तिवारी	181120210511541	भभुआ
14.	भभुआ	राजेंद्र प्रसाद	2022110616902	भभुआ
15.	भभुआ	सोनी कुमारी	061220220212191	भभुआ
16.	शिवहर	मो० कमरुद्दीन	070820190408311	शिवहर
17.	शिवहर	बिक्रम सिंह	170720231007411	शिवहर
18.	शिवहर	राम नरेश सिंह	843329	सी.बी.आई.
19.	शिवहर	मिथिलेश कुमार सिन्हा	1812447267	सी.बी.आई.
20.	शिवहर	कपिलदेव झा	2012111618132	सी.बी.आई.
21.	सिवान	अशर्फी प्रसाद	190920191209021	सिवान
22.	सिवान	रेणु साहा	090720200507101	सिवान
23.	सिवान	कमली देवी	0102071229	बी.ओ.आई.
24.	सिवान	निशा देवी	200911031	बी.ओ.आई.
25.	सिवान	चंपा देवी	DMKSST010	पी.एन.बी.
26.	सासाराम	सराफत अली अंसारी	220820201108341	सासाराम
27.	सासाराम	राम प्रताप सिंह	191220190412431	सासाराम
28.	सासाराम	बिक्रम सिंह	180220200302421	सासाराम
29.	सासाराम	जाहिरुन निशा	21512072400	इंडियन
30.	सासाराम	लालती देवी	EMPTY28	पी.एन.बी.
31.	सासाराम	जानकी देवी	Hzbdad3794	पी.एन.बी.
32.	मुंगेर	देवनंदन पासवान	201111E011	पी.एन.बी.
33.	मुंगेर	चुल्हाई साव	201111E11	पी.एन.बी.
34.	बेगुसराय	राम	20191400000	बेगुसराय

35.	बेगुसराय	रघु सिंह	201011031	सी.बी.आई.
36.	बेगुसराय	युगल किशोर वर्मा	22101997	सी.बी.आई.
37.	बेगुसराय	राम स्वार्थ सिंह	3896414	सी.बी.आई.
38.	वैशाली	मीना देवी	1726	सी.बी.आई.
39.	मधुबनी	हरिनंदन प्रसाद यादव	11132439/09	पी.एन.बी.
40.	मधुबनी	राय श्री प्रीतम	230939300155	पी.एन.बी.
41.	मधुबनी	बलराम राय	11062124/10	पी.एन.बी.
42.	मधुबनी	अजय कुमार प्रसाद	11111091TS8445	पी.एन.बी.
43.	मधुबनी	सूर्य कला देवी	BIHAR	पी.एन.बी.
44.	समस्तीपुर	महेन्द्र प्रसाद	ASM10370/131212093 316	बी.ओ.आई.
45.	समस्तीपुर	राम सेवक महतो	2009911102059	सी.बी.आई.
46.	बक्सर	पार्वती देवी	3462/FD	इंडियन
47.	बक्सर	उमा शंकर सिंह	BXR ROD 277(JHAR)	इंडियन
48.	बक्सर	रबी शंकर प्रसाद	BXR FOR 3975	इंडियन
49.	सारण	फूल पति देवी	20081117441044	इंडियन
50.	सारण	नागेंद्र प्रसाद	20111034238	इंडियन
51.	सारण	बिंदा पाठक	2012111641521	इंडियन
52.	सारण	खुशीद अहमद खान	2091111043	इंडियन
53.	मुजफ्फरपुर	मेहर चंद्र महतो	2009911052122	बी.ओ.आई.
54.	मुजफ्फरपुर	रामेश्वर राय	2012101161682	बी.ओ.आई.
55.	मुजफ्फरपुर	शशि देवी	20131103299	सी.बी.आई.
56.	मुजफ्फरपुर	सीता देवी	20091141337	सी.बी.आई.
57.	मुजफ्फरपुर	मृदुला देवी	20091141571	सी.बी.आई.
58.	मुजफ्फरपुर	मो. निजामुद्दीन	397095(V)	यूको
59.	मुजफ्फरपुर	नागेंद्र पासवान	s/297542/99	यूको
60.	सुपौल	मो० मुस्तकीम	2010/11151627	सी.बी.आई.
61.	सुपौल	गोपाल सिंह	2010111152080	सी.बी.आई.
62.	सुपौल	मंगल प्रसाद सिंह	2011111034139	सी.बी.आई.
63.	सुपौल	विश्वकांत मिश्रा	2011153036	सी.बी.आई.
64.	पटना समाहरणालय	श्याम देव राय	050	पी.एन.बी.
65.	पटना समाहरणालय	सीता राम सिंह	5	पी.एन.बी.

परिशिष्ट संख्या-4

(राज्य के अंदर एक जिला से दूसरे जिला में पी०पी०ओ० का स्थानांतरण)

क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ० संख्या	कोषागार जिसको पी०पी०ओ० स्थानांतरण किया गया
1.	बाँका	अनम्मा फिलिप्स	201913041284	पटना समाहरणालय
2.	बाँका	त्रिलोकी सिंह	202011141662	आरा
3.	सिवान	अनिल कुमार चौधरी	202111031437	पटना समाहरणालय
4.	सिवान	रमेश सिंह कुशवाहा	2021ML171246	पटना सिंचाई भवन
5.	मुंगेर	अजय कुमार सिंह	202011042164	भागलपुर
6.	मुंगेर	अजय कुमार	201011041574	नालंदा
7.	मुंगेर	शिवदानी शर्मा	201611052068	शेखपुरा
8.	मुंगेर	शिव नारायण यादव	200911151528	बाँका
9.	मुंगेर	राम रतन प्रसाद सिंह	202011141063	लखीसराय
10.	मुंगेर	मदन प्रसाद सिंह	201211161769	हाजीपुर
11.	बेगुसराय	इंद्रदेव प्रसाद	201911162254	नालंदा
12.	समस्तीपुर	उपेंद्र प्रसाद	201911042107	पटना समाहरणालय
13.	समस्तीपुर	सऊद आजम रहमानी	202211151380	मुजफ्फरपुर
14.	बक्सर	राखी कुमार पत्नी- स्वर्गीय उमा शंकर प्रसाद	202012141057	नालंदा
15.	बक्सर	रामजी प्रसाद	202011051614	सासाराम
16.	पटना समाहरणालय	गुंजा देवी पत्नी- स्वर्गीय किशोर कुमार	201912161319	छपरा
17.	पटना समाहरणालय	डॉ०. शैलेन्द्र कुमार	202113171269	दिल्ली बिहार भवन
18.	पटना समाहरणालय	मो. नईमुद्दीन मियाँ	202114091893	छपरा
19.	पटना समाहरणालय	बेचन शर्मा	202214092030	दरभंगा
20.	पटना समाहरणालय	अनिल कुमार शर्मा	202011021276	मुंगेर
21.	पटना समाहरणालय	हुसैन बानो	201911032035	दरभंगा

परिशिष्ट संख्या-5

(पेंशनरों से आयकर की कटौती नहीं किया जाना)

क्र० सं०	कोषागार के नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ० संख्या	शुद्ध मासिक/वार्षिक पेंशन (मूल)
1.	बाँका	सदानंद सिंह	202111072097	45,229/-
2.	भभुआ	अटल बिहारी चतुर्वेदी	201911111293	89,270/-
3.	भभुआ	राम रंग तिवारी	201911111188	89,270/-
4.	भभुआ	दीवान अब्दुल अजीज	201911111077	1,05,488/-
5.	भभुआ	डा. राज कुमार सिंह	201911171152	66,905/-
6.	भभुआ	प्रकाश श्रीवास्तव	202011111105	96,083/-
7.	भभुआ	विजय शंकर	202111111136	63,859/-
8.	भभुआ	भरत तिवारी	202211111046	1,06,695/-
9.	भभुआ	राजेंद्र चौबे	202211111255	1,02,667/-
10.	शिवहर	डॉ० मेहदी हसन	202011171160	1,00,000/-
11.	सासाराम	सत्येंद्र नाथ मिश्र	202211171472	5,37,504/-
12.	सासाराम	नागेंद्र चौबे	202211171379	5,06,942/-
13.	मुंगेर	डॉ० उमाशंकर प्रसाद सिंह	202011111377	60,058/-
14.	मुंगेर	ओम प्रकाश पासवान	202111031988	60,143/-
15.	बेगुसराय	रीता पाठक	202013171330	1,38,598/-
16.	बेगुसराय	डॉ० रामाधार सिंह	202011171223	1,34,622/-
17.	बेगुसराय	सुधा कुमारी	201912171291	1,15,026/-
18.	समस्तीपुर	डॉ० बिनय कुमार श्रीवास्तव	202011171498	87,750/-
19.	समस्तीपुर	प्रभा शर्मा	201912171041	75,700/-
20.	समस्तीपुर	विमला पांडे	202112171311	91,350/-
21.	समस्तीपुर	दिनेश कुमार निर्मल	202111171028	96,900/-
22.	सारण	डॉ० नागेन्द्र प्रसाद शर्मा	202311171136	17,61,946/-
23.	सारण	डॉ० बाबूलाल प्रसाद	202311171012	20,98,064/-
24.	सारण	डॉ० शैलेन्द्र कुमार सिंह	202011171288	14,16,988/-
25.	सुपौल	डॉ० अरुण कुमार वर्मा	202311171623	37,97,119/-
26.	सुपौल	डॉ० चन्द्र किशोर प्रसाद	202311171133	15,56,096/-
27.	सुपौल	डॉ० शिव शंकर विद्यार्थी	202111171485	10,48,833/-
28.	पटना समाहरणालय	डॉ० संजय कुमार	202113171143	9,17,849/-